

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची  
जमानत आवेदन संख्या 10255/2023

-----

भगवान भगत, पुत्र स्व. जगन्नाथ भगत, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी रतनपुर, बरहरवा, डाकघर -  
बरहरवा, थाना - बरहरवा, जिला- साहेबगंज (झारखंड)

..... याचिकाकर्ता

**बनाम**

1. झारखंड राज्य
2. प्रवर्तन निदेशालय

.....विपक्षी गण

-----

कोरम: माननीय श्रीमान. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद

-----

याचिकाकर्ता के लिए:

श्री एस नागामुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता

सुश्री सोनम गुप्ता, अधिवक्ता

श्री शिवा पांडे, अधिवक्ता

श्री यश बड़कुर, अधिवक्ता

श्री श्रेयस कौशल, अधिवक्ता

सुश्री स्नेह सिंह, अधिवक्ता

सुश्री पिंकी कुमारी, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए:

श्री अनिल कुमार, एडिशनल एसजीआई

श्रीमती चंदना कुमारी, एसी एडिशनल एसजीआई

श्री प्रियांशु शेखर, एसी एडिशनल एसजीआई

सीएवी 15 मार्च, 2024

12/04/2024 को घोषित

**प्रार्थना:**

1. यह आवेदन धारा 439 और 440 अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत दायर किया गया है, जिसमें धारा 3 पीएमएल अधिनियम, 2022 के तहत पंजीकृत ईसीआईआर/आरएनजेडओ/03/2022 से उत्पन्न केस संख्या ईसीआईआर-04/2022(एस) के संबंध में जमानत देने का अनुरोध किया गया है जो की धारा 4 पीएमएल अधिनियम, 202 के तहत दंडनीय है।

**मामले का तथ्यात्मक सार:**

2. तत्काल ईसीआईआर/शिकायत में लगाए गए आरोप के अनुसार अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है:

संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच, आरोपी पंकज मिश्रा और अन्य के विरुद्ध बरहरवा पुलिस स्टेशन, जिला-साहेबगंज, झारखंड में शंभू नंदन कुमार की एफआईआर संख्या 85/2020 दिनांक 22.06.2020 के आधार पर ईसीआईआर संख्या 3/2022 दर्ज करके शुरू की गई थी। आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने बरहरवा टोल के टेंडर में भाग न लेने के लिए फोन पर उपरोक्त शिकायतकर्ता को धमकी दी थी और जिसके इनकार करने पर आरोपी व्यक्तियों के इशारे पर भीड़ द्वारा शिकायतकर्ता पर हमला किया गया था। इसके बाद, आरोप पत्र संख्या 231/2020 दिनांक 30.11.2020 को राजमहल, जिला साहेबगंज की अदालत में दायर किया गया।

जांच के दौरान पता चला कि खनन मैटेरियल (मुख्य रूप से पत्थर के चिप्स) ले जाने वाले वाहनों को मुख्य सड़कों तक पहुंचने से पहले बरहरवा टोल पार करना पड़ता है। यह भी पता चला कि वैध लाइसेंस के तहत खनन के अलावा, साहेबगंज जिले और आसपास के इलाकों में अवैध रूप से भारी मात्रा में खनन किया जा रहा है। यह भी पता चला कि आरोपी व्यक्ति पंकज मिश्रा अपने गुर्गों के माध्यम से पत्थर के चिप्स ले जाने वाले ट्रकों से अवैध रूप से वसूली करने में शामिल है और साहेबगंज जिले में विभिन्न खनन स्थलों पर स्थापित कई क्रशर के साथ-साथ पत्थर के चिप्स और बोल्टर के खनन पर भी उसका नियंत्रण है। उनके सहयोगियों सहित कई

व्यक्तियों द्वारा लगभग सभी खदानों और परिवहन में उनका एक निश्चित हिस्सा है। झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होने के नाते उनका राजनीतिक रसूख है, जो बरहेट, साहेबगंज से विधायक भी हैं। बैंक खातों की जांच से करोड़ों रुपये की अपराध आय का पता चलता है।

यह कि बड़ी तस्वीर को उजागर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन से संबंधित आरोपी पंकज मिश्रा के विरुद्ध दर्ज अन्य एफआईआर को मौजूदा ईसीआईआर में मिला दिया है। इसके अलावा, अवैध खनन और पर्यावरण को हुए नुकसान के मुद्दे की भी जांच माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली की इस मामले में दी गई टिप्पणी और अवैध खनन के मुद्दे से संबंधित दर्ज विभिन्न एफआईआर पर विचार करते हुए की जा रही है। आगे आरोप लगाया गया है कि वैध लाइसेंस के तहत खनन के अलावा साहेबगंज जिले और आसपास के इलाकों में अवैध रूप से भारी मात्रा में खनन किया जा रहा है और आरोपी पंकज मिश्रा अपने गुर्गों के जरिए स्टोन चिप्स ले जाने वाले ट्रकों से अवैध वसूली में शामिल है। आगे आरोप लगाया गया है कि मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा के साथियों और करीबी सहयोगियों से कुल 5,34,44,400 रुपये की नकदी बरामद की गई इसके अलावा, पूरक अभियोजन शिकायत से पता चलता है कि अवैध खनन से अपराध के आगम नकद में उत्पन्न होती है और आरोपी, टिकल कुमार भगत, कृष्ण कुमार साहा और वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा आरोपी पंकज मिश्रा को हस्तांतरित की जाती है।

इस मामले में, इन अभियुक्तों ने जानबूझ कर अपराध के आगम को इस तरह से अर्जित किया और अपने पास रखा जैसे कि यह बेदाग धन हो; वे उक्त अवैध रूप से अर्जित धन/अपराध के आगम को बेदाग दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त याचिकाकर्ता ने न केवल अवैध खनन, व्यापार और पत्थर के चिप्स आदि के परिवहन के माध्यम से अवैध तरीके से अर्जित बड़ी राशि प्राप्त की है, बल्कि इस तरह की “अपराध के आगम” पर भी कब्जा कर लिया है और अब इसे बेदाग बता रहे हैं।

वर्तमान याचिकाकर्ता को दिनांक 07.07.2023 को गिरफ्तार किया गया था और तदनुसार याचिकाकर्ता ने अपनी जमानत मंजूर करने के लिए विविध अपराध आवेदन संख्या 2850/2023 को प्रस्तुत किया था, लेकिन इसे विद्वान विशेष न्यायाधीश, पीएमएल अधिनियम, रांची द्वारा दिनांक 09.10.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

इसलिए जमानत देने के लिए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

**याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क:**

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागमुथु ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर तर्क दिया है:
- i याचिकाकर्ता को अनुसूचित अपराध में अभियुक्त के रूप में नहीं दर्शाया गया है, इसलिए केवल धारा 120-बी भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध शामिल करने से, धारा 3 अंतर्गत पीएमएल अधिनियम, 2002 के तहत किया गया अपराध लागू नहीं होगा।
  - ii आधार यह लिया गया है कि एफआईआर दिनांक 22.06.2020 की है और दो साल बीत जाने के बाद ईसीआईआर स्थापित की गई है, इसलिए, यह सोच विचार कर दायर किया गया है।
  - iii. मूल ईसीआईआर के अलावा कुल तीन शिकायतें हैं। ईसीआईआर में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनके नाम पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और पशुपति यादव हैं। पहली शिकायत में पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को आरोपी बनाया गया है, दूसरी शिकायत में पशुपति यादव को आरोपी बनाया गया है और तीसरी शिकायत में कृष्ण कुमार साहा, भगवान भगत और टिकल कुमार भगत को आरोपी बनाया गया है।
  - iv यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता का नाम शिकायत में आया है, जो अपने आप में यह बताता है कि धारा 3 अंतर्गत पीएमएल अधिनियम, 2002 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए कोई अभियोग नहीं था।
  - v आधार यह लिया गया है कि केवल इसलिए कि बैंक खाते में कुछ धनराशि जमा कर दी गई है, इसे धारा 3 अंतर्गत पीएमएल अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपराध नहीं कहा जा सकता।
  - vi इसके अलावा, यह आधार लिया गया है कि यदि संपूर्ण ईसीआईआर/ शिकायत पर विचार किया जाएगा तो यह पाया जाएगा कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप अवैध खनन में शामिल होने का है और अवैध खनन संचालन पीएमएल अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध के अर्थ में अनुसूचित अपराध नहीं है, इसलिए धारा 3 के तहत भी कोई मामला नहीं बनता है।
  - vii . यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के घर/कब्जे से केवल एक मोबाइल फोन और कुछ खुले कागजात बरामद किए गए हैं और इसलिए, याचिकाकर्ता के विरुद्ध पूरा आरोप ही कानून की नजर में गलत है।
  - viii विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने *विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 929*, विशेषकर पैराग्राफ-281, 282, 317, 401, 467(डी) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, साथ ही *पवन*

*डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय में आपराधिक अपील संख्या 2779/2023* में पारित एक अन्य निर्णय, विशेषकर उसके पैराग्राफ-17 और 29 पर भी भरोसा किया है।

- ix. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भी समानता का आधार लिया है, क्योंकि सह-आरोपी व्यक्तियों में से एक, अर्थात् कृष्ण कुमार साहा को इस न्यायालय के समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.2023 द्वारा बी.ए. संख्या 8709/2023 में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त आधार पर दलील दी है कि जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय विद्वान अदालत को मामले के सभी कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करने से गंभीर त्रुटि हुई है।
5. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में आगे यह दलील दी गई है कि प्रस्तुत आधार के अनुसार यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें याचिकाकर्ता को जमानत का विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए।

**प्रतिवादी- ईडी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क:**

6. दूसरी ओर, विपक्षीय -प्रवर्तन निदेशालय के लिए भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री अनिल कुमार ने निम्नलिखित आधारों पर नियमित जमानत देने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है:
- (i) याचिकाकर्ता की ओर से यह आधार लेना गलत है कि मामला केवल अवैध खनन का है, बल्कि अगर पूरी शिकायत पर विचार किया जाए तो विभिन्न एफआईआर को भी जांच का विषय बनाया गया है। ये एफआईआर भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश के आधार पर दर्ज की गई थीं, जिनकी जांच चल रही थी।
- (ii) जो आधार लिया गया है कि वर्तमान मामला अनुसूचित अपराध के अंतर्गत नहीं आता है, उसे सही तर्क नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यदि सभी एफआईआर, जिन्हें ईसीआईआर का विषय बनाया गया है, को ध्यान में रखा जाएगा, तो यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 411 और 414 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए गए हैं, जो अनुसूचित अपराध हैं, इसलिए, यह आधार कि कथित अपराध अनुसूचित अपराध के दायरे में नहीं आता है, रिकॉर्ड के विपरीत है।
- (iii) जांच में यह बात सामने आई है कि याचिकाकर्ता पंकज मिश्रा से निकटता से जुड़ा हुआ है तथा वह खाते का संचालन भी करता है, क्योंकि वर्तमान याचिकाकर्ता का मोबाइल नंबर पंकज मिश्रा के खातों में दर्शाया गया है।

- (iv) विद्वान एएसजीआई ने अभियोजन पक्ष की शिकायत के विभिन्न पैराग्राफों की सहायता ली है, जिसमें जांच के दौरान मैटेरियल सामने आई है।
- (v) विपक्षी पक्ष-ईडी की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजीआई ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि यह मुद्दा जमानत पर विचार करने के लिए है, इसलिए, संपूर्ण मैटेरियल को समग्रता में ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि अधिनियम, 2002 की धारा 45 (1) के तहत आवश्यक ट्विन टेस्ट को पूरा करने के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके और यदि पूरे आरोप को ध्यान में रखा जाएगा तो यह स्पष्ट होगा कि याचिकाकर्ता सह-आरोपी व्यक्ति पंकज मिश्रा का करीबी सहयोगी के रूप में पाया गया है।
- (vi) सह-आरोपी कृष्ण कुमार साहा की जमानत बढ़ाने के आधार पर विपक्षी पक्ष-ईडी के विद्वान एएसजीआई ने दलील दी है कि सह-आरोपी की संलिप्तता वर्तमान याचिकाकर्ता की संलिप्तता से काफी अलग है क्योंकि वर्तमान याचिकाकर्ता पंकज मिश्रा का करीबी सहयोगी पाया गया है। मोबाइल नंबर उस खाते के विवरण में पाया गया है जो उक्त पंकज मिश्रा के नाम पर चल रहा था, इसलिए समानता के आधार पर वर्तमान याचिकाकर्ता का मामला उक्त कृष्ण कुमार साहा से अलग है।
- (vii) इसके अलावा, यह भी आधार लिया गया है कि समन्वय पीठ ने पहले ही अन्य सह-आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश की जमानत की प्रार्थना को खारिज कर दिया है।
- (viii) इसलिए, यह आधार लिया गया है कि चूंकि समानता का आधार याचिकाकर्ता की ओर से लिया जा रहा है, इसलिए आवश्यकता यह होगी कि वर्तमान याचिकाकर्ता की संलिप्तता को कृष्ण कुमार साहा, पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश की संलिप्तता के साथ विचार किया जाए, ताकि वर्तमान याचिकाकर्ता की संलिप्तता का आकलन करते हुए समानता का लाभ प्रदान करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, जिसमें उन अभियुक्तों की संलिप्तता शामिल है जिनकी जमानत के लिए प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है और उस अभियुक्त व्यक्ति की संलिप्तता भी शामिल है जिसकी जमानत के लिए प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है।
- (xi) दलील यह दी गई है कि पंकज मिश्रा वह व्यक्ति है जो अवैध खनन के मामलों में संलिप्त है और वर्तमान याचिकाकर्ता उसका करीबी सहयोगी है। इसके अलावा प्रेम प्रकाश के विरुद्ध भी मिलीभगत दिखाई गई है जिसकी जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।
7. विपक्षी पक्ष-ईडी के विद्वान एएसजीआई ने उपरोक्त आधारों के आधार पर दलील दी है कि चूंकि वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति पंकज मिश्रा के आरोपों के समान है,

इस हद तक कि वह एक करीबी सहयोगी पाया गया है, जबकि कृष्ण कुमार साहा के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है, ऐसे में तत्काल जमानत आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

## विक्षेपण

8. यह न्यायालय, पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्क की विवेचन करने से पहले, अधिनियम, 2002 के तहत निहित कानून के कुछ प्रावधानों पर इसके उद्देश्य और इरादे के साथ चर्चा करना उचित और उचित समझता है।
9. यह अधिनियम धन शोधन को रोकने, अपराध के आगम को कुर्क करने, न्याय निर्णय और जब्ती के लिए एक व्यापक कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसमें इसे केन्द्र सरकार को सौंपना, धन शोधन से निपटने के उपायों के समन्वय के लिए एजेंसियों और तंत्रों की स्थापना करना और अपराध के आगम से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना शामिल है। इन मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के मादक द्रव्यों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध सम्मेलन, 1989 में घोषित सिद्धांतों का बेसल वक्तव्य, 14 से 16 जुलाई, 1989 को पेरिस में आयोजित सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में स्थापित FATF, 23.2.1990 के अपने संकल्प संख्या S-17/2 के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए राजनीतिक घोषणापत्र और कार्रवाई के महान कार्यक्रम, 8 से 10 जून, 1998 को विश्व मादक द्रव्य समस्या का मिलकर मुकाबला करने पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में राज्य पक्षों से एक व्यापक कानून बनाने का आग्रह किया गया। यह विधेयक के साथ प्रस्तुत किए गए उद्देश्यों और कारणों के कथन और प्रस्तावना से स्पष्ट है जो 2002 का अधिनियम बन गया। यह इस प्रकार है:

### **"परिचय**

*मनी-लॉन्ड्रिंग न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी एक गंभीर खतरा है। ऐसे खतरों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कुछ पहल की हैं। यह महसूस किया गया है कि मनी-लॉन्ड्रिंग और इससे जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए एक व्यापक कानून की तत्काल आवश्यकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसद में मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम विधेयक, 1998 पेश किया गया था। विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने 4 मार्च, 1999 को अपनी रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत की। केंद्र सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिशों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया और उन्हें कुछ अन्य वांछित परिवर्तनों के साथ उक्त विधेयक में शामिल कर लिया।*

### **उद्देश्यों और कारणों का विवरण**

दुनिया भर में यह महसूस किया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी गंभीर खतरा है। इस तरह के खतरे को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उठाए गए कुछ कदम नीचे दिए गए हैं:—

- (ए) स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसका भारत एक पक्ष है, में मादक द्रव्य अपराधों और अन्य संबद्ध गतिविधियों से प्राप्त आय के शोधन की रोकथाम तथा ऐसे अपराध से प्राप्त आय को जब्त करने का आह्वान किया गया है।
- (बी) 1989 में प्रस्तुत बेसल सिद्धांत वक्तव्य में बुनियादी नीतियों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई थी, जिनका पालन बैंकों को धन शोधन की समस्या से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए करना चाहिए।
- (सी) मनी-लॉन्ड्रिंग की समस्या की जांच के लिए 14 से 16 जुलाई, 1989 तक पेरिस में आयोजित सात प्रमुख औद्योगिक देशों के शिखर सम्मेलन में स्थापित वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने चालीस सिफारिशों की हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए व्यापक कानून बनाने के लिए आधार मैटेरियल प्रदान करती हैं। सिफारिशों को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण शीर्षक हैं-
- (i) गंभीर अपराधों के माध्यम से किए गए धन शोधन को आपराधिक अपराध घोषित करना;
  - (ii) रिपोर्ट योग्य लेनदेन के संबंध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकटीकरण की रूपरेखा तैयार करना;
  - (iii) अपराध के आगम की जब्ती;
  - (iv) धन शोधन को प्रत्यर्पणीय अपराध घोषित करना; तथा
  - (v) धन शोधन की जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- (डी) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 फरवरी, 1990 को अपने संकल्प संख्या एस-17/2 द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ सदस्य देशों से वित्तीय संस्थाओं को नशीली दवाओं से संबंधित धन शोधन के लिए इस्तेमाल किए जाने से रोकने के लिए तंत्र विकसित करने और इस तरह के शोधन को रोकने के लिए कानून बनाने का आह्वान किया गया है। (ई) संयुक्त राष्ट्र ने 8 से 10 जून, 1998 को संपन्न विश्व नशीली दवाओं की समस्या का मुकाबला करने के लिए विशेष सत्र में धन शोधन का मुकाबला करने की आवश्यकता के बारे में एक और घोषणा की है। भारत इस घोषणा पर हस्ताक्षरकर्ता है।



10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिनियम, 2002 को धन शोधन को रोकने, अपराध के आगम को कुर्क करने, धन शोधन से निपटने के लिए न्यायनिर्णयन और जब्ती तथा अपराध के आगम से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में लिस व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ एक व्यापक कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- 11। इसमें अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(यू) के तहत प्रदत्त "अपराध के आगम" की परिभाषा का संदर्भ लेने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है:
- "2(यू) 'अपराध के आगम' से किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई कोई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य [या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली जाती है या धारित की जाती है, वहां देश के भीतर [ या बाहर] धारित सममूल्य की संपत्ति ] अभिप्रेत है; [ स्पष्टीकरण-शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि " अपराध के आगम" के अंतर्गत न केवल अनुसूचित अपराध से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई संपत्ति है, बल्कि ऐसी कोई संपत्ति भी है, जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई है;]
12. उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि "अपराध के आगम" से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई संपत्ति से है या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली गई या रखी गई है, तो देश के भीतर या विदेश में रखी गई संपत्ति के बराबर मूल्य से है।
13. स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध के आगम" में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या प्राप्त की गई संपत्ति शामिल है, बल्कि ऐसी कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त स्पष्टीकरण को 2019 के अधिनियम 23 के माध्यम से कानून की किताब में डाला गया है।
14. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धारा 2(1)(यू) के तहत स्पष्टीकरण देने का कारण इस आशय का स्पष्टीकरण है कि क्या धारा 2(1)(यू) के मूल प्रावधान के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या अर्जित की गई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली गई या रखी गई है, लेकिन स्पष्टीकरण के माध्यम से अपराध के आगम को न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या अर्जित संपत्ति बल्कि अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक

गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या अर्जित की गई किसी संपत्ति को भी शामिल करके व्यापक निहितार्थ दिया गया है।

15. धारा 2(1)(v) के तहत "संपत्ति" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है हर प्रकार की कोई भी संपत्ति या परिसंपत्ति, चाहे वह भौतिक हो या अमूर्त, चल या अचल, मूर्त या अमूर्त और इसमें ऐसी संपत्ति या परिसंपत्तियों पर स्वामित्व या हित को प्रमाणित करने वाले कार्य और उपकरण शामिल हैं, चाहे वे कहीं भी स्थित हों।

16. अनुसूची को धारा 2(1)(x) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची। "अनुसूचित अपराध" को धारा 2(1)(y) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

2(वाई) "अनुसूचित अपराध" से अभिप्रेत है.- (i) अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध; या [(ii) अनुसूची के भाग ख के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध, यदि ऐसे अपराधों में अंतर्वलित कुल मूल्य [ एक करोड़ रुपए] या अधिक है; या] [(iii) अनुसूची के भाग ग के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध; ]

17. यह स्पष्ट है कि "अनुसूचित अपराध" का तात्पर्य अनुसूची के भाग ए के तहत निर्दिष्ट अपराधों से है; या अनुसूची के भाग बी के तहत निर्दिष्ट अपराधों से है यदि ऐसे अपराधों में शामिल कुल मूल्य [एक करोड़ रुपये] या उससे अधिक है; या अनुसूची के भाग सी के तहत निर्दिष्ट अपराध।

18. धन शोधन के अपराध को अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

3. धन शोधन का अपराध - [जो कोई, अपराध के आगमों से संबंधित ऐसी किसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप में, जिसके अंतर्गत उसका छिपाया जाना, कब्जा रखना, अर्जन या उपयोग भी है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लिप्त होने का प्रयत्न करेगा या जानते हुए सहायता करेगा या जानते हुए उसका पक्षकार बनेगा या वास्तव में उसमें अंतर्वलित होगा और निष्कलंक संपत्ति के रूप में उसे प्रस्तुत करेगा या उसका दावा करेगा, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।] [स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि, - (i) कोई व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा, यदि ऐसा व्यक्ति आगमों से संबंधित निम्नलिखित एक या अधिक प्रक्रियाओं या क्रियाकलापों में, अर्थात्- (क) छिपाए जाने; या (ख) कब्जा रखने; या (ग) अर्जन करने; या (घ) उपयोग करने या (ङ) निष्कलंक संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने; या (च) निष्कलंक संपत्ति के रूप में दावा करने, में, किसी भी रीति से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लिप्त होने का प्रयत्न करता है या जानते हुए सहायता करता है या जानते हुए उसका पक्षकार है या

वास्तव में उसमें संलिप्त पाया जाता है; (ii) अपराध के आगमों से संबंधित प्रक्रिया या क्रियाकलाप एक चालू रहने वाला क्रियाकलाप है और उस समय तक चालू रहता है, जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी रीति में अपराध के आगमों को छिपा कर या कब्जा रखकर या उसका अर्जन करके या उपयोग करके या निष्कलंक संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करके या निष्कलंक संपत्ति के रूप में दावा करके अपराध के आगमों का उपयोग करता है। ]

19. उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि "धन शोधन के अपराध" से तात्पर्य है कि जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध के आगम से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है, जिसमें इसे छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।
20. यह भी स्पष्ट है कि अपराध के आगम से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति अपराध के आगम को छिपाकर या उस पर कब्जा करके या उसे अर्जित करके या उसका उपयोग करके या उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करके या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका आनंद ले रहा है।
21. अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम, 2002 की धारा 50 अधिकारियों को समन, दस्तावेज प्रस्तुत करने और साक्ष्य देने के संबंध में शक्ति प्रदान करती है। आसान संदर्भ के लिए, अधिनियम, 2002 की धारा 50 को इस प्रकार उद्धृत किया गया है:

50. समन करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और साक्ष्य देने, आदि के बारे में प्राधिकारियों की शक्ति (1) निदेशक को, धारा 13 के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:- (क) प्रकटीकरण और निरीक्षण; (ख) किसी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत किसी [रिपोर्टकर्ता इकाई] का कोई अधिकारी भी है, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना; (ग) अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण के लिए विवश करना; (घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; (ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और (च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए। (2) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक को ऐसे किसी व्यक्ति को समन करने की शक्ति होगी जिसकी हाजिरी वह, चाहे इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के

अनुक्रम में साक्ष्य देने के लिए या कोई अभिलेख पेश करने के लिए आवश्यक समझता है। (3) इस प्रकार समन किए सभी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से, जैसा कि ऐसा अधिकारी निदेश दे, हाजिर होने और ऐसे किसी विषय के बारे में सत्य कथन करने के लिए बाध्य होगा जिसके संबंध में उनकी परीक्षा की जा रही हो अथवा ऐसे कथन करने और ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जिनकी उससे अपेक्षा की जाए। (4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। (5) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किन्हीं अभिलेखों को परिबद्ध कर सकेगा और ऐसी किसी अवधि के लिए अपने पास प्रतिधारित कर सकेगा जिसे वह उचित समझे: परन्तु कोई सहायक निदेशक या उप निदेशक- (क) किसी अभिलेख को, ऐसा करने के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध किए बिना, परिबद्ध नहीं करेगा; या (ख) ऐसे किसी अभिलेख को [ संयुक्त निदेशक ] का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना तीन मास से अधिक की अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा।

22. अधिनियम, 2002 के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ "अपराध के आगम" की परिभाषा की व्याख्या को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 929 के मामले में निपटाया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम, 2002 के उद्देश्य और इरादे को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर फैसला किया है।

23. पूर्वगामी अपराध में शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय जो शर्त पूरी की जानी है, उसकी व्याख्या पैराग्राफ-265 से स्पष्ट रूप से की गई है। त्वरित संदर्भ के लिए, प्रासंगिक पैराग्राफों को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा है:

“265. दूसरे शब्दों में कहें तो, 2019 से पहले की धारा में खुद ही “सहित” शब्द शामिल था, जो अपराध के आगम से जुड़ी विभिन्न प्रक्रिया या गतिविधि के संदर्भ में किया गया संकेत है। इस प्रकार, मुख्य प्रावधान (जैसा कि स्पष्टीकरण भी) यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध के आगम से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाया जाता है, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी माना जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि केवल प्रश्नगत संपत्ति को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या दावा करने पर ही अपराध पूरा हो जाएगा। यह अधिनियम की धारा 3 के पीछे विधायी मंशा की प्रभावशीलता को कमजोर करेगा और साथ ही इसमें

“प्रक्षेपण या दावा करने” की अभिव्यक्ति से पहले “और” शब्द की घटना के संबंध में FATF द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की अवहेलना होगी। प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य में इस न्यायालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, अनुबंध और अभिसमय भले ही नगरपालिका कानून का हिस्सा न हों, लेकिन न्यायालयों द्वारा उनका संदर्भ लिया जाना चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत उक्त संधियों का एक पक्ष है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि भारत के संविधान और अन्य मौजूदा कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुरूप पढ़ा गया है। यह भी देखा गया कि भारत के संविधान और संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अभिसमय को ध्यान में रखते हुए समझना चाहिए क्योंकि हमारा संविधान विश्व समुदाय की संस्थाओं का ध्यान रखता है जिन्हें बनाया गया था। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए.के. चोपड़ा में न्यायालय ने कहा कि घरेलू न्यायालयों का दायित्व है कि वे घरेलू कानूनों की व्याख्या करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और मानदंडों को उचित सम्मान दें, खासकर तब जब उनके बीच कोई असंगति न हो और घरेलू कानून में कोई कमी हो। यह दृष्टिकोण गीता हरिहरन, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ में भी दोहराया गया है।”

धारा 50 के निहितार्थ को भी ध्यान में रखा गया है। प्रासंगिक पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ-422, 424, 425, 431, 434 इस प्रकार हैं:

“422. इस प्रावधान की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती दी गई है। क्योंकि, यह 2002 अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी को जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसका बयान दर्ज करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, प्रावधान में यह अनिवार्य किया गया है कि व्यक्ति को जांच के विषय के संबंध में अपने व्यक्तिगत ज्ञान में ज्ञात सत्य और सही तथ्यों का खुलासा करना चाहिए। व्यक्ति को 2002 अधिनियम की धारा 63 के अनुसार झूठे या गलत होने के लिए दंडित किए जाने की धमकी के साथ दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए भी बाध्य किया जाता है। इससे पहले कि हम मामले का आगे विश्लेषण करें, संशोधित 2002 अधिनियम की धारा 50 को पुनः प्रस्तुत करना उचित है।-----:

424. इस प्रावधान के द्वारा निदेशक को उपधारा (1) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में मुकदमा चलाने के दौरान 1908 संहिता के तहत सिविल न्यायालय में निहित समान शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। यह बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जुर्माना लगाने के लिए निदेशक की शक्तियों से संबंधित 2002 अधिनियम की धारा 13 के संदर्भ में है। जिस सेटिंग में धारा 50 रखी गई है और धारा 13 के तहत

जुर्माना लगाने के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय में निहित समान शक्तियों के साथ निदेशक को सशक्त बनाने का विस्तार स्पष्ट रूप से बहुत विशिष्ट है और अन्यथा नहीं।

425. वास्तव में, उपधारा (2) धारा 50 कि निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार देती है, जिसकी उपस्थिति वह इस अधिनियम के तहत किसी जांच या कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या कोई रिकॉर्ड पेश करने के लिए आवश्यक समझता है। हमने पहले ही इस निर्णय के पिछले भाग में "कार्यवाही" शब्द की व्यापकता पर प्रकाश डाला है और माना है कि यह न्यायाधिकरण या विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है, जैसा भी मामला हो। फिर भी, उपधारा (2) अधिकृत अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार देती है। हम यह समझने में विफल हैं कि अनुच्छेद 20(3) ऐसे समन के अनुसरण में बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के संबंध में कैसे लागू होगा जो केवल इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में जानकारी या साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से है। वास्तव में, जिस व्यक्ति को बुलाया गया है, वह व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंट के माध्यम से उपस्थित होने और किसी भी विषय पर सत्य बताने के लिए बाध्य है जिसके बारे में उससे पूछताछ की जा रही है या उससे बयान देने और दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा की जा रही है, जैसा कि 2002 अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (3) के आधार पर अपेक्षित हो सकता है। आलोचना अनिवार्य रूप से उपधारा (4) के कारण है जो यह प्रावधान करती है कि उप-धारा (2) और (3) के तहत प्रत्येक कार्यवाही आईपीसी की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। फिर भी, तथ्य यह है कि अनुच्छेद 20(3) या उस मामले के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, केवल तभी लागू होगी जब इस तरह से बुलाया गया व्यक्ति प्रासंगिक समय पर किसी अपराध का आरोपी हो और उसे खुद के विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। यह स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। एमपी शर्मा में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने एक ऐसी ही चुनौती पर विचार किया था जिसमें जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए वारंट मजिस्ट्रेट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए थे। इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 20(3) में दी गई गारंटी "साक्षी अनिवार्यता" के विरुद्ध है और यह मौखिक साक्ष्य तक सीमित नहीं है। इतना ही नहीं, यह तब भी लागू होता है जब व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाता है, जो मौखिक साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी होने मात्र से नहीं हो सकता है। इसके अलावा, गवाह बनना साक्ष्य प्रस्तुत करने से अधिक कुछ नहीं है और ऐसे साक्ष्य विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया: "मोटे तौर पर अनुच्छेद 20(3) में दी गई गारंटी "साक्षी अनिवार्यता" के विरुद्ध है। यह सुझाव दिया गया है कि यह किसी व्यक्ति के मौखिक साक्ष्य तक सीमित है, जब उसे

गवाह के रूप में बुलाया जाता है। हम संवैधानिक गारंटी की मैटेरियल को इस मात्र शाब्दिक अर्थ तक सीमित करने का कोई कारण नहीं देख सकते हैं। इसलिए इसे सीमित करना गारंटी के मूल उद्देश्य को छीनना होगा और कुछ अमेरिकी निर्णयों में बताए गए सार को खोना होगा। अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त वाक्यांश "साक्षी होना" है। कोई व्यक्ति केवल मौखिक साक्ष्य देकर ही "गवाह" नहीं बन सकता, बल्कि दस्तावेज प्रस्तुत करके या गूंगे गवाह के मामले में समझ में आने वाले हाव-भाव बनाकर भी ऐसा कर सकता है (साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 देखें) या इसी तरह। "गवाह होना" "साक्ष्य प्रस्तुत करने" से ज्यादा कुछ नहीं है, और ऐसा साक्ष्य होठों से या किसी चीज या दस्तावेज को प्रस्तुत करके या अन्य तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। जहाँ तक दस्तावेज प्रस्तुत करने का सवाल है, निस्संदेह साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 कहती है कि सम्मन पर दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति गवाह नहीं है। लेकिन उस धारा का उद्देश्य जिरह के अधिकार को विनियमित करना है। यह "गवाह" शब्द के अर्थ के लिए मार्गदर्शक नहीं है, जिसे इसके प्राकृतिक अर्थ में समझा जाना चाहिए, यानी, साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करना। वास्तव में, प्रत्येक सकारात्मक स्वैच्छिक कार्य जो साक्ष्य प्रस्तुत करता है, वह गवाही है, और साक्ष्य संबंधी बाध्यता का अर्थ है जबरदस्ती जो व्यक्ति के सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य संबंधी कार्यों को प्राप्त करती है, जो उसकी ओर से चुप्पी या समर्पण के नकारात्मक रवैये के विपरीत है। न ही यह सोचने का कोई कारण है कि इस प्रकार प्राप्त साक्ष्य के संबंध में सुरक्षा केवल न्यायालय कक्ष में मुकदमे के दौरान होने वाली घटनाओं तक ही सीमित है। अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त वाक्यांश "गवाह बनना" है न कि "गवाह के रूप में पेश होना"। इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त को "गवाह बनना" वाक्यांश से संबंधित होने तक दी जाने वाली सुरक्षा केवल न्यायालय कक्ष में साक्ष्य संबंधी बाध्यता के संबंध में ही नहीं है, बल्कि उससे पहले प्राप्त की गई बाध्य गवाही तक भी विस्तारित हो सकती है। इसलिए यह उस व्यक्ति को उपलब्ध है जिसके विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने से संबंधित औपचारिक आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य तौर पर अभियोजन हो सकता है। क्या यह अन्य स्थितियों में अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, इस मामले में निर्णय की आवश्यकता नहीं है।" (जोर दिया गया) न ही यह सोचने का कोई कारण है कि इस तरह से प्राप्त साक्ष्य के संबंध में सुरक्षा केवल न्यायालय कक्ष में मुकदमे के दौरान होने वाली घटनाओं तक ही सीमित है। अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त वाक्यांश "गवाह बनना" है न कि "गवाह के रूप में पेश होना"। इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त को दी जाने वाली सुरक्षा, जहाँ तक यह "गवाह बनना" वाक्यांश से संबंधित है, केवल न्यायालय कक्ष में गवाही देने के लिए बाध्यता के संबंध में ही नहीं है, बल्कि उससे पहले प्राप्त की गई बाध्य गवाही तक भी विस्तारित हो सकती है। इसलिए यह उस व्यक्ति को उपलब्ध है जिसके विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने से संबंधित औपचारिक आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य तौर पर अभियोजन हो सकता है। क्या यह अन्य स्थितियों में अन्य

व्यक्तियों को उपलब्ध है, इस मामले में निर्णय की आवश्यकता नहीं है।" (जोर दिया गया) न ही यह सोचने का कोई कारण है कि इस तरह से प्राप्त साक्ष्य के संबंध में सुरक्षा केवल न्यायालय कक्ष में मुकदमे के दौरान होने वाली घटनाओं तक ही सीमित है। अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त वाक्यांश "गवाह बनना" है न कि "गवाह के रूप में पेश होना"। इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त को दी जाने वाली सुरक्षा, जहाँ तक यह "गवाह बनना" वाक्यांश से संबंधित है, केवल न्यायालय कक्ष में गवाही देने के लिए बाध्यता के संबंध में ही नहीं है, बल्कि उससे पहले प्राप्त की गई बाध्य गवाही तक भी विस्तारित हो सकती है। इसलिए यह उस व्यक्ति को उपलब्ध है जिसके विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने से संबंधित औपचारिक आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य तौर पर अभियोजन हो सकता है। क्या यह अन्य स्थितियों में अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, इस मामले में निर्णय की आवश्यकता नहीं है।" (जोर दिया गया)

431. 2002 अधिनियम के संदर्भ में, यह याद रखना चाहिए कि धारा 50 के तहत प्राधिकरण द्वारा अपराध के आगम के बारे में जांच के संबंध में समन जारी किया जाता है, जिसे कुर्क किया जा सकता है और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है। ऐसी कार्रवाई के संबंध में, नामित अधिकारियों को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और साक्ष्य के संग्रह के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार दिया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि नोटिस प्राप्त करने वाले के विरुद्ध अभियोजन शुरू किया जाए। इस अधिनियम के तहत नामित अधिकारियों को सौंपी गई शक्ति, हालांकि वास्तविक अर्थों में जांच के रूप में है, अपराध के आगम के संबंध में कार्रवाई शुरू करने या आगे बढ़ाने में सुविधा के लिए प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच करना है, यदि स्थिति ऐसा करने की मांग करती है और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यह अलग बात है कि जांच के दौरान इस तरह से एकत्रित की गई जानकारी और साक्ष्य, धन शोधन के अपराध के किए जाने और उस व्यक्ति की संलिप्तता का खुलासा कर सकते हैं, जिसे प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए समन के अनुसरण में खुलासा करने के लिए बुलाया गया है। इस स्तर पर, ऐसे व्यक्ति के मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आरोपी के रूप में शामिल होने की संभावना का संकेत देने वाला कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं होगा। यदि उसके द्वारा दिए गए बयान से मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध या अपराध के आगम के अस्तित्व का पता चलता है, तो वह अधिनियम के तहत ही कार्रवाई योग्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अपराध के आगम होने वाली संपत्ति के संबंध में प्रासंगिक तथ्यों की जांच करने के उद्देश्य से बयान दर्ज करने के चरण में, उस अर्थ में, अभियोजन के लिए कोई जांच नहीं है; और किसी भी मामले में, नोटिस प्राप्त करने वाले के विरुद्ध कोई औपचारिक आरोप नहीं होगा। इस तरह के समन अधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई जांच में गवाहों को भी जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, अन्य मैटेरियल और सबूतों के आधार पर आगे



की जांच के बाद, ऐसे व्यक्ति (नोटिस प्राप्त करने वाले) की संलिप्तता का पता चलता है, अधिकृत अधिकारी निश्चित रूप से उसके विरुद्ध उसके द्वारा किए गए कार्यों या चूक के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में, समन जारी करने के चरण में, व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि, अगर ईडी अधिकारी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उसका बयान दर्ज किया जाता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 20(3) या धारा 25 के परिणाम लागू हो सकते हैं, जिससे यह आग्रह किया जा सकता है कि यह स्वीकारोक्ति की प्रकृति का है, इसलिए उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यह अभियोजन पक्ष को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा, जिसमें उसके दावे के झूठ को इंगित करने के लिए अन्य ठोस मैटेरियल के आधार पर 2002 अधिनियम की धारा 63 के तहत परिणाम शामिल हैं। यह साक्ष्य के नियम का मामला होगा।

434. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिकारियों को दी गई शक्ति अपराध के आगम के अस्तित्व और उससे संबंधित प्रक्रिया या गतिविधि में व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक मामलों की जांच करने के लिए है, ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू की जा सके, जिसमें संपत्ति की जब्ती, कुर्की और जब्ती शामिल है, जो अंततः केंद्र सरकार में निहित होगी।

24. उपर्युक्त अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 2002 अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य, जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया है, केवल धन शोधन के अपराध के लिए दंड तक सीमित नहीं हैं, बल्कि धन शोधन की रोकथाम के लिए उपाय भी प्रदान करते हैं। यह अपराध के आगम की कुर्की के लिए भी प्रावधान करता है, जिसे छुपाया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है या किसी भी तरह से निपटाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप 2002 अधिनियम के तहत ऐसी आय की जब्ती से संबंधित किसी भी कार्यवाही को विफल किया जा सकता है। यह अधिनियम बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों को लेनदेन के रिकॉर्ड रखने, 2002 अधिनियम के अध्याय IV के अनुसार निर्धारित समय के भीतर ऐसे लेनदेन की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है।

25. उपरोक्त निर्णय में विधेय अपराध पर विचार किया गया है, जिसमें धारा 2(1)(यू) के तहत निहित "अपराध के आगम" की परिभाषा के तहत अधिनियम 23/2019 के माध्यम से डाले गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा और जिसके तहत, संदेह को दूर करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया गया है कि, "अपराध के आगम" में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या प्राप्त की गई संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या

प्राप्त की जा सकती है, जिसका अर्थ है, "कोई भी संपत्ति जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की जा सकती है" शब्द अपराध के आगम के दायरे में आएगी।

26. जहां तक धारा 45(1)(i)(ii) के तात्पर्य का संबंध है, उपरोक्त प्रावधान गैर-बाधा खंड से शुरू होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि -

*(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने के लिए अवसर नहीं दे दिया गया है; और (ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए समुचित आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत के दौरान कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है:*

27. उपधारा (2) में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या जमानत देने के संबंध में वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत निर्धारित सीमाओं के अतिरिक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट जमानत देने पर सीमाएं लगाई गई हैं।

28. उपधारा (2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण भी है, जो संदेहों को दूर करने के उद्देश्य से है। स्पष्टीकरण जोड़ा गया है कि "संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों का होना" का अर्थ होगा और हमेशा यही माना जाएगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय अपराध और गैर-जमानती अपराध होंगे, भले ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में इसके विपरीत कुछ भी निहित हो, और तदनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी धारा 19 के अंतर्गत शर्तों की पूर्ति और इस धारा के अंतर्गत निहित शर्तों के अधीन, बिना वारंट के किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए सशक्त हैं।

29. धारा 45 के निहितार्थ के बारे में तथ्य की व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा) के पैराग्राफ 372-374 में की गई है। त्वरित संदर्भ के लिए, उक्त पैराग्राफ को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा है:

*“372. धारा 45 को 2005 के अधिनियम 20, 2018 के अधिनियम 13 और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से संशोधित किया गया है। 23.11.2017 से पहले प्राप्त प्रावधान कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। धारा 45 की उप-धारा (1) की संवैधानिक वैधता, जैसा कि वह तब थी, निकेश ताराचंद शाह में विचार किया गया था। इस न्यायालय ने 2002 के अधिनियम की धारा 45(1) को, जैसा कि वह तब थी, जमानत पर रिहाई के लिए दो और शर्तें लगाने के मामले*

में असंवैधानिक घोषित किया, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। जिन दो शर्तों का उल्लेख ट्विन कंडीशंस के रूप में किया गया है, वे हैं: (i) यह मानने के लिए उचित आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है

373. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चूंकि इस न्यायालय द्वारा दोनों शर्तों को अमान्य और असंवैधानिक घोषित किया गया है, इसलिए वे समाप्त हो गई हैं। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए मणिपुर राज्य के कथन पर भरोसा किया गया है।

374. हमारे द्वारा उत्तर दिया जाने वाला पहला मुद्दा यह है: क्या निकेश ताराचंद शाह में इस न्यायालय के निर्णय के बाद भी कानून की ये दोनों शर्तें कानून की किताब में बनी रहीं और यदि हाँ, तो 2002 के अधिनियम की धारा 45(1) में 2018 के अधिनियम 13 के तहत किए गए संशोधन के मद्देनजर, इस न्यायालय द्वारा की गई घोषणा का कोई महत्व नहीं होगा। इस तर्क को हमें लंबे समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मणिपुर राज्य के निर्णय के पैराग्राफ 29 में यह अवलोकन कि न्यायालय द्वारा यह घोषित किए जाने के कारण कि कानून असंवैधानिक है, कानून पूरी तरह से समाप्त हो जाता है जैसे कि इसे कभी पारित ही नहीं किया गया था, प्रासंगिक है। इस मामले में, न्यायालय निरसन अधिनियम की प्रभावकारिता से निपट रहा था। ऐसा करते समय, न्यायालय ने निरसन अधिनियम पर ध्यान दिया था और विधायी शक्ति की कमी के संदर्भ में उक्त अवलोकन किया था। तर्क की प्रक्रिया में, इसने बेहराम खुशीद पेसिकाका और दीप चंद में की गई व्याख्या पर ध्यान दिया, जिसमें कूली ऑन कॉन्स्टीट्यूशनल लिमिटेडशंस और नॉर्टन बनाम शेल्बी काउंटी में व्याख्या किए गए अमेरिकी न्यायशास्त्र भी शामिल हैं।”

30. इसके बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1486 के मामले में विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया है कि चूंकि धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं, इसलिए उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह आगे देखा गया है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमत वैधानिक अनुमान के अनुसार, न्यायालय या प्राधिकरण तब तक यह मानने का हकदार है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, कि अधिनियम के तहत अपराध के आगम से संबंधित किसी भी कार्यवाही में धारा 45 अंतर्गत पीएमएलए में उल्लिखित ऐसी शर्तों का पालन आपराधिक

प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा, क्योंकि धारा 71 अंतर्गत पीएमएलए के तहत वर्तमान में लागू अन्य कानून पर पीएमएल अधिनियम को दिए गए अधिभावी प्रभाव को देखते हुए। तत्काल संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय के पैराग्राफ-17 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

*“17. जैसा कि अब तक तय हो चुका है, धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं। उनका अनुपालन किया जाना चाहिए। न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं हैं और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमत वैधानिक अनुमान के अनुसार, न्यायालय या प्राधिकरण यह मानने का हकदार है कि जब तक विपरीत साबित न हो जाए, अधिनियम के तहत 17 एबीए संख्या 10671/2023 अपराध के आगम से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध के आरोप में किसी व्यक्ति के मामले में, अपराध की ऐसी आय धन शोधन में शामिल है। धारा 45 अंतर्गत पीएमएलए में उल्लिखित ऐसी शर्तों का अनुपालन धारा 439 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा। धारा 71 अंतर्गत पीएमएलए के तहत, वर्तमान में लागू अन्य कानूनों की तुलना में पीएमएल अधिनियम को दिए गए अधिभावी प्रभाव को देखते हुए पी. सी.*

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में आगे यह निर्धारित किया है कि जमानत का लाभ देने से पहले अधिनियम, 2002 की धारा 45 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ट्विन कंडीशंस का पालन किया जाना है, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा)** में विचार किया है, जिसमें यह देखा गया है कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं हैं और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
32. **विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में पैराग्राफ 284 के अनुसार, यह माना गया है कि 2002 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण को किसी व्यक्ति पर धन शोधन के अपराध के लिए तभी मुकदमा चलाना है, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है कि व्यक्ति के पास "अपराध के आगम" है। केवल तभी जब उस विश्वास को ठोस और विश्वसनीय सबूतों द्वारा समर्थित किया जाता है, जो अपराध के आगम से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में संबंधित व्यक्ति की संलिप्तता का संकेत देते हैं, अधिनियम के तहत अपराध के आगम की कुर्की और जब्ती के लिए कार्रवाई की जा सकती है और केंद्र सरकार

को इसके निहित होने तक, शुरू की गई ऐसी प्रक्रिया एक स्वतंत्र प्रक्रिया होगी। जहां तक अधिनियम, 2002 की धारा 45 के तहत जमानत देने के मुद्दे का संबंध है बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा) में यह टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि राहत चाहे किसी भी रूप में दी गई हो, जिसमें कार्यवाही की प्रकृति भी शामिल है, चाहे वह 1973 की संहिता की धारा 438 के तहत हो या उस मामले के लिए, संवैधानिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करके, 2002 की धारा 45 के अंतर्निहित सिद्धांत और कठोरता को लागू किया जाना चाहिए और बिना किसी अपवाद के 2002 अधिनियम के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए माना जाना चाहिए, जो कि धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए कड़े नियामक उपायों का प्रावधान करने वाला एक विशेष कानून है।

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय (धन शोधन निवारण अधिनियम)**, भारत सरकार द्वारा **मनोज कुमार, सहायक निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, (2015) 16 एससीसी 1** के पैराग्राफ-30 में यह माना है कि धारा 45 अंतर्गत पीएमएलए के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं और उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है, जिसे पीएमएलए की धारा 65 और धारा 71 के प्रावधानों द्वारा और मजबूत किया गया है। धारा 65 में यह आवश्यक है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होंगे, जब तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं और धारा 71 में यह प्रावधान है कि पीएमएलए के प्रावधानों का किसी अन्य कानून में निहित असंगतता के बावजूद अधिभावी प्रभाव होगा। पीएमएलए का अधिभावी प्रभाव होता है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान तभी लागू होंगे जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हों।

34. इसलिए, धारा 439 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी धारा 45 अंतर्गत पीएमएलए में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा। धारा 24 के प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक प्राधिकरण या न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध के आगम मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल है और यह साबित करने का भार अपीलकर्ता पर है कि अपराध के आगम शामिल नहीं है। तत्पर संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय का पैराग्राफ-30 इस प्रकार है:

*“30. धारा 45 अंतर्गत पीएमएलए के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं और उनका अनुपालन किया जाना चाहिए, जिसे पीएमएलए की धारा 65 और धारा 71 के प्रावधानों द्वारा और मजबूत किया गया है। धारा 65 के अनुसार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होंगे, जब तक कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों और धारा 71 में प्रावधान है कि पीएमएलए के प्रावधानों का अधिभावी प्रभाव होगा, भले ही वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी असंगत क्यों न हो। पीएमएलए का अधिभावी प्रभाव होता है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के*

प्रावधान तभी लागू होंगे, जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों। इसलिए, धारा 45 अंतर्गत पीएमएलए में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा। धारा 24 के प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, प्राधिकरण या न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध के आगम धन शोधन में शामिल है और यह साबित करने का भार अपीलकर्ता पर है कि अपराध के आगम शामिल नहीं है।”

35. अब वर्तमान मामले के तथ्य और वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए, जिसके बारे में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार कहा जा रहा है कि यह धारा 3 अंतर्गत पीएमएलए के संघटकों को आकर्षित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। जबकि दूसरी ओर, ईडी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन शिकायत के विभिन्न पैराग्राफों का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया है कि अपराध पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है।
36. इस न्यायालय का, प्रतिद्वंद्वी दलीलों की विवेचन करने के लिए, यह मानना है कि अभियोजन पक्ष की शिकायत के विभिन्न पैराग्राफ, जिन पर दोनों पक्षों की ओर से भरोसा किया गया है, का यहां उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या धारा 45 अंतर्गत पीएमएलए 1(i)(ii) के तहत तय किए गए पैरामीटर पूरे हो रहे हैं, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें नियमित जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। पूरक अभियोजन शिकायत के प्रासंगिक पैराग्राफ यहां संदर्भित हैं:

### **7. धन शोधन के अपराध के लिए पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के अंतर्गत गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण**

- (iii) तत्काल मामले की आगे की जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपी नंबर 5 (कृष्ण कुमार साहा), आरोपी नंबर 6 (भगवान भगत) आरोपी नंबर (टिकल कुमार भगत) सीधे अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त हैं और जानबूझकर पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में हैं। इसके अलावा, वे अपराध के आगम को छिपाने, रखने, अधिग्रहण, उपयोग करने और अपराध के आगम को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने और दावा करने में शामिल हैं। इस प्रकार, आरोपी नंबर (कृष्ण कुमार साहा) को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत दिनांकित 05.07.2023 को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, आरोपी नंबर 6 (भगवान भगत) और आरोपी नंबर 7 (टिकल कुमार भगत) को बाद में दिनांकित 07.07.2023 को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया गया।

8. धारा 50 अंतर्गत पीएमएलए (2) और (3) के तहत जांचे गए व्यक्तियों का संक्षिप्त विवरण

## **8.2**

### **भगवान भगत (आरोपी नं. 6)-**

धारा 50 पीएमएलए, 2002 के तहत दर्ज किए गए 06.08.2022 (आरयूडी नंबर 13) के अपने बयान में, यह पता चला है कि वह पंकज मिश्रा के लिए रेलवे रेक पर पत्थर लोडिंग का व्यवसाय देखता है। उसने आगे कहा है कि वह पंकज मिश्रा के लिए प्रति माह लगभग 2 से 3 रेलवे रेक लोड करता था। इसके अलावा, पंकज मिश्रा के लिए कथित मुनाफे को अधिकतम करने के लिए, वह अपने खातों की किताब में पंकज मिश्रा को कम कीमत/ रियायती दरों पर पत्थर मैटेरियल की बिक्री भी दिखाता था और बाद में, आरोपी पंकज मिश्रा के लिए, उसने खुद उन्हें बाजार मूल्य पर बेचा और पंकज मिश्रा के बैंक खाते में भुगतान प्राप्त किया।

इसके अलावा, दिनांक 25.07.2022 से दिनांक 29.07.2022 तक विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में किए गए संयुक्त निरीक्षण (आरयूडी नंबर 43) से भी अवैध खनन गतिविधियों में आरोपी भगवान भगत की संलिप्तता की पुष्टि होती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भगवान भगत पंकज मिश्रा के करीबी विश्वासपात्रों में से एक है और उसके संरक्षण में अवैध खनन गतिविधियों को अंजाम देता है। दिनांक 08.07.2023 को की गई तलाशी के दौरान भगवान भगत के कब्जे से 28,50,000/- रुपये की नकदी जब्त की गई। जब्त की गई नकदी के स्रोत के बारे में पूछे जाने पर, वह संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ था। इसके अलावा, दिनांक 06.08.2022 (आरयूडी नंबर 13) के अपने बयान में, भगवान भगत ने कहा कि जब्त की गई नकदी पिछले 5-7 दिनों की उनकी बिक्री की आय थी जो पत्थर के समुच्चय को बेचने से उत्पन्न हुई थी, हालांकि, जब्त की गई नकदी के स्रोत के संबंध में कोई संतोषजनक दस्तावेजी सबूत उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उनके कब्जे से जब्त की गई नकदी अवैध पत्थर खनन गतिविधियों से उत्पन्न अपराध के आगम है।

## **8.3**

### **पंकज मिश्रा (आरोपी नं. 1)-**

1. दिनांक 21.07.2022 को धारा 50 पीएमएलए, 2002 के तहत दर्ज पंकज मिश्रा के बयान (दिनांक 16.09.2022 के पीसी के आरयूडी नंबर 67) से पता चलता है कि भगवान भगत रेलवे रेक पर स्टोन चिप्स/स्टोन एग्रीगेट्स की लोडिंग का काम देखता था। पंकज मिश्रा ने अपने बयान में यह भी कहा है कि भगवान भगत इससे होने वाली आय को अपने एचडीएफसी बैंक खाते में जमा करता था। भगवान भगत के दिनांक 08.08.2022 के बयान (दिनांक 16.09.2022 के पीसी के आरयूडी नंबर 64) से पता चलता है कि आरोपी भगवान भगत एचडीएफसी बैंक खाते (ए/सी नंबर 50200062737102) का संचालन कर रहा था, जो पंकज मिश्रा के नाम पर खोला गया था

## **8.6**

### **विनोद जायसवाल –**

विनोद जायसवाल ने धारा 50 पीएमएलए, 2002 के तहत दर्ज अपने बयान दिनांक 15.06.2022 (पीसी के आरयूडी नंबर 55 दिनांक 16.09.2022) में कहा कि टिकल कुमार भगत ने अपने साथियों के साथ मिलकर साहेबगंज में संचालित प्रत्येक स्टोन क्रशर से प्रति माह 1 एकड़ की उगाही की। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा है कि परिवहन के लिए साहेबगंज से लोड किए गए प्रत्येक रेलवे रिक से टिकल भगत ने 25,000 रुपये की उगाही की।

**यह साबित करने के लिए साक्ष्य का संक्षिप्त सारांश कि अभियुक्त और उनकी संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं, साथ ही पीएमएलए 2002 के तहत जांच अधिकारी का निष्कर्ष**

9.8 दिनांक 29.07.2022 को मौजा बोरना में भगवान भगत की एक फर्म मेसर्स भगवान स्टोन वर्क्स द्वारा अवैध खनन की पहचान की गई। पटना ब्लॉक में कुल 13.13 एकड़ क्षेत्र में खनन के लिए पट्टा दिया गया था। हालांकि, निरीक्षण में पता चला कि कुल 21 एकड़ क्षेत्र में खनन किया गया है। मौजा बोरना के निकटवर्ती प्लॉट संख्या 135पी, 138पी, 137पी, 136, 1299, 120, 119, 118पी, 89पी, 111पी और 110पी में अधिक खनन हुआ। इसमें पता चला कि अप्रैल, 2019 से जून, 2022 तक भगवान भगत द्वारा प्राप्त कुल खनन चालान लगभग 23908985 सीईटी था जबकि उनके द्वारा किया गया वास्तविक खनन उस मात्रा से कई गुना अधिक था जिसके लिए चैपमैन प्राप्त किया गया था

9.15 भगवान भगत (आरोपी नंबर 6) के बैंक खातों की जांच की गई, जिसमें पता चला कि उसके बैंक खातों में भारी मात्रा में नकदी जमा की गई थी। उसके कई खातों में जमा की गई नकदी का सार नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

क्रम. नहीं।	खाता नंबर	खाताधारक	बैंक का नाम	कुल नकद जमा किया	अवधि
1	34544312996	भगवान भगत	एसबीआई, बरहरवा शाखा	299300	11.06.2022 से 23.06.2022
2	34792305587	भगवान स्टोन वर्क्स	एसबीआई, बरहरवा शाखा	5975000	07.03.2019 से 07.10.2021
3	50541192273	भगवान स्टोन वर्क्स	भारतीय	9500000	30.01.2021 से 31.03.2022



			किनारापठाना शाखा		
4	916020083818682	भगवान स्टोन वर्क्स	एक्सिस बैंक	10400000	23.03.2017 से 30.03.2021
5	916020064853585	भगवान भगत	एक्सिस बैंक	890000	15.12.2016 से 18.12.2020
			<b>कुल- रु.2,70,64,300/-</b>		

तालिका से यह स्पष्ट है कि उसके पांच बैंक खातों में 2,70,64,300/- रुपये की नकदी जमा की गई है। यह उल्लेखनीय है कि अवैध रूप से खनन किए गए स्टोन चिप्स/ एग्रीगेट्स का अधिकतम लेन-देन नकद में किया जाता है क्योंकि वे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना छिपे तरीके से किए जाते हैं। अवैध खनन गतिविधियों से प्राप्त आय को विभिन्न तरीकों से लूटा जाता है। जिनमें से एक है, आरोपी व्यक्तियों द्वारा दागी संपत्ति को बेदाग दिखाने के लिए टुकड़ों में बैंक खातों में नकदी जमा करना। यह आगे उल्लेख किया गया है कि नकदी घटक से निपटने के अन्य तरीके उन्हें छिपाना (तलाशी के दौरान नकदी की जब्ती आरोपी व्यक्तियों के हाथों में अपराध के आगम को छिपाने का साबित करती है) या जमीन की संपत्तियों या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश करना या आगे निवेश करना है। इस प्रकार, आरोपी व्यक्तियों के बैंक खातों में सटीक नकदी घटक कभी नहीं पाया जा सकता है।

9.16 यह उल्लेखनीय है कि साहेबगंज और उसके आस-पास के इलाकों में अवैध खनन की घटनाएं स्वीकार्य सीमा से परे हैं और इसकी सटीक मात्रा कई सौ करोड़ रुपये है। इसके अलावा, अपराध के आगम जो आरोपी व्यक्तियों के बैंक खातों में पड़ी है, वह नकद में किए जाने वाले सभी दैनिक खर्चों को घटाने के बाद प्राप्त शुद्ध आय है। यह पता चला है कि अवैध खनन गतिविधियों से उत्पन्न आय का अधिकांश हिस्सा अघोषित है और जानबूझकर वित्तीय प्रणाली से छिपाया जाता है।

#### पीएमएलए के तहत जांच के परिणाम का संक्षिप्त सारांश

10.5 25 जुलाई, 2022 और 29 जुलाई, 2022 के बीच कई पत्थर खनन स्थलों का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें साहेबगंज में बड़े पैमाने पर अवैध खनन गतिविधियों की पुष्टि हुई, कृष्ण कुमार साहा (आरोपी नंबर 5), भगवान भगत नंबर 6), और टिकल कुमार भगत (आरोपी नंबर

- 7) को अधिकृत सीमा से परे पत्थर की खदानों में खुदाई करते पाया गया। इससे न केवल राजकोष को काफी वित्तीय नुकसान हुआ, बल्कि पर्यावरण को भी काफी नुकसान हुआ। जांच के दौरान, इन तीनों आरोपी व्यक्तियों के बैंक खातों की जांच की गई, जिसमें पंकज मिश्रा के साथ बड़ी मात्रा में नकदी जमा और परस्पर जुड़े लेन-देन का पता चला।
- 10.6 जांच में पता चला कि आरोपी पक्ष पंकज मिश्रा की मदद से साहेबगंज में अवैध खनन में लिप्त थे। उन्होंने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के इलाकों में स्टोन चिप्स और एग्रीगेट की आपूर्ति की। यह भी पता चला कि टिकल कुमार भगत और भगवान भगत ने पंकज मिश्रा के निर्देश पर अवैध खनन में सक्रिय रूप से मदद की।
13. **धारा 3 पीएमएलए, 2002 के तहत धन शोधन के अपराध में अभियुक्त की भूमिका**
- अभियुक्त संख्या 1 से 4 की भूमिका पहले से ही 16.09.2022 की अभियोजन शिकायत और 19.06.2023 की पूरक अभियोजन शिकायत का हिस्सा है और इसे यहाँ दोहराया नहीं गया है। हालाँकि, पहले की अभियोजन शिकायतों के समर्थन या पुष्टि में अन्य अभियुक्तों के साक्ष्य और भूमिका को सहमति से पढ़ा जाएगा।

#### **द्वितीय. भगवान भगत**

आरोपी नंबर 6 अर्थात् भगवान भगत जानबूझकर अपनी अवैध खनन गतिविधियों से उत्पन्न धन की लूट में लिप्त है, जो उसने मौजा बोमा के प्लॉट संख्या 135पी, 138पी, 137पी, 136, 1299, 120, 119, 118पी, 89पी, 111पी और 110पी पर अनुमेय सीमा से अधिक लगभग 7.8 एकड़ पर किया है। पटना ब्लॉक में कुल 13.13 एकड़ क्षेत्र में खनन के लिए पट्टा दिया गया था। हालाँकि, निरीक्षण से पता चला कि कुल खनन 21 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। इससे पता चला कि अप्रैल 2019 से जून 2022 तक भगवान भगत द्वारा प्राप्त कुल खनन चालान लगभग 23908985 सीएफटी था, जबकि उनके द्वारा किया गया वास्तविक खनन उस मात्रा से कई गुना अधिक था जिसके लिए खनन चालान प्राप्त किया गया था।

इसके अलावा, आरोपी भगवान भगत ने जानबूझकर पंकज मिश्रा को अवैध पत्थर खनन गतिविधियों और उसके बाद उससे जुड़ी अवैध गतिविधियों में मदद की है, जिसमें उसके बैंक खातों का दिन-प्रतिदिन प्रबंधन, अवैध रूप से खनन की गई पत्थर मैटेरियल की आपूर्ति और उसके संरक्षण में अवैध गतिविधियों को अंजाम देना शामिल है। इसके अलावा, नकदी में वहन किए जाने वाले दैनिक खर्चों में कटौती करने के बाद, आरोपी भगवान भगत के पास 2,70,64,300/- रुपये की अपराध के आगम है, जिसे उसके पांच बैंक खातों में जमा किया गया है। उसने जानबूझकर पंकज मिश्रा को 29.10.2021 से 18.05.2022 की अवधि के दौरान अपने

एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50200062737102 में 4.87 करोड़ रुपये की अपराध के आगम को वैध बनाने में मदद की है।

इसलिए, अभियुक्त भगवान भगत प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल था, जानबूझकर एक पक्ष है और वास्तव में धन शोधन के अपराध से जुड़ी सभी गतिविधियों में शामिल है, अर्थात् उपयोग या अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, और बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना।

इसलिए, अभियुक्त भगवान भगत ने धारा 3 पीएमएलए, 2002 के तहत अपराध किया है और इस प्रकार, उसके विरुद्ध धारा 4 पीएमएलए, 2002 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

37. इस प्रकार, जांच में यह पता चला कि अवैध खनन गतिविधियाँ बेहिसाब और अघोषित हैं और इससे होने वाली आय आम तौर पर नकद में होती है जिसे आरोपी व्यक्तियों के सहयोगियों के माध्यम से लूटा जाता है। दिनक 08.07.2022 को पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के परिसरों पर तलाशी ली गई और 5 रुपये की नकदी जब्त की गई। इसके अलावा पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया गया, जिसमें लगभग 13 करोड़ रुपये की राशि थी। जिसमें से वर्तमान याचिकाकर्ता के परिसर से 28,50,000 रुपये जब्त किए गए।
38. इसके अलावा दिनांक 29.07.2022 को संयुक्त निरीक्षण के दौरान, वर्तमान याचिकाकर्ता भगवान भगत से जुड़ी कंपनी मेसर्स भगवान स्टोन वर्क्स के खनन स्थलों की पहचान मौजा बोरना में की गई थी। मूल रूप से ब्लॉक पटना में कुल 13.13 एकड़ क्षेत्र के लिए दिए गए खनन पट्टे में पाया गया कि इसकी सीमा पार हो गई है, वास्तविक खनन 21 एकड़ क्षेत्र में हुआ है। अतिरिक्त खनन 135पी, 138पी, 137पी, 136, 129पी, 120, 119, 118पी, 89पी, 111पी और मौजा बोरना में आसन्न भूखंडों में हुआ। जांच में पता चला कि अप्रैल 2019 से जून 2022 के बीच, भगवान भगत ने लगभग 23908,985 क्यूबिक फीट टॉवर (सीएफटी) के खनन चालान प्राप्त किए। इस प्रकार भगवान भगत अर्थात् वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा लगभग 7.8 एकड़ अतिरिक्त खनन की पहचान की गई जो अवैध था।
39. जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि मौजा बोरना में मेसर्स भगवान स्टोन वर्क्स द्वारा संचालित खदानों के दिनांक 29.07.2022 के संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि खनन दो भूखंडों संख्या 87, 89पी, 90, 118पी, 121 से 125 (क्षेत्रफल 7.25 एकड़) और (ii), 91, 107, 108, 10%, 112 से 117 क्षेत्रफल 5.98 एकड़ पर किया जा रहा था। पटना ब्लॉक में कुल 13.13 एकड़ क्षेत्र पर खनन के लिए पट्टा दिया गया था। हालांकि, निरीक्षण के दौरान लिए गए वास्तविक खनन क्षेत्र के निर्देशांक से पता चला कि कुल खनन 21 एकड़ क्षेत्र में किया गया है और लगभग 8 एकड़ क्षेत्र में खनन किया गया है, जो अवैध खनन था। किया गया अतिरिक्त अवैध खनन 14.07 करोड़ सीएफटी था जिसका मूल्य लगभग 84.11 करोड़ रुपये है। भगवान भगत पीओसी द्वारा नियंत्रित

- खातों में 2.70 करोड़ रुपये की राशि का पता लगाया गया है। इसके अलावा, जांच के दौरान यह भी पता चला है कि भगवान भगत मामले के मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा द्वारा 4.87 करोड़ रुपये की धनशोधन में सहायता करने में शामिल पाए गए हैं।
40. आगे की जांच से पता चलता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता और पंकज मिश्रा ने कई वित्तीय लेनदेन किए हैं और दिनांक 29.10.2021 से 18.05.2022 की अवधि के दौरान पंकज मिश्रा के एचडीएफसी बैंक खाते संख्या 50200062737102 में अपराध की राशि 5,68,96,067.00 रुपये जमा की है। यह भी पता चला है कि भगवान भगत का मोबाइल नंबर एचडीएफसी बैंक खाते संख्या 50200062737102 से जुड़ा था, जो अपराध के आगम प्राप्त करने और उसे सफेद करने के उद्देश्य से पंकज मिश्रा के नाम पर खोला गया था। यह भी पता चला है कि पंकज मिश्रा ने भगवान भगत की सहायता से स्टोन चिप्स के कथित व्यापार को पेश करके अपराध के आगम को सफेद किया है। भगवान भगत, पंकज मिश्रा के लिए रेलवे रेकों पर पत्थर लदान का व्यवसाय देखता है और पंकज मिश्रा के लिए प्रति माह लगभग 2 से 3 रेलवे रोक लोड करता था। इसके अलावा, पंकज मिश्रा के लिए कथित लाभ को अधिकतम करने के लिए, उसने अपने खातों की पुस्तक में पंकज मिश्रा को कम कीमत/रियायती दरों पर पत्थर मैटेरियल की बिक्री भी दिखाई और बाद में, आरोपी पंकज मिश्रा के लिए, उसने खुद उन्हें बाजार मूल्य पर बेच दिया और पंकज मिश्रा के बैंक खाते में भुगतान प्राप्त किया।
41. पूरक अभियोजन शिकायत के अनुसार, जांच के दौरान, याचिकाकर्ता से जुड़े परिसरों में दिनांक 08.07.2023 को तलाशी ली गई थी, लेकिन उन्होंने अज्ञात गंतव्यों पर उनके द्वारा किए गए अवैध खनन के सबूत के अधिकांश दस्तावेजों को छुपा लिया, जिसे उन्होंने जांच के दौरान उजागर नहीं किया। यह तथ्य भगवान भगत के मोबाइल फोन से एक पत्र की बरामदगी से भी स्थापित होता है, जो इस कार्यालय द्वारा दिनांक 20.05.2022 को मालदा पूर्वी रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक को लिखा गया था, जिसमें इस कार्यालय ने रेलवे के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए परिवहन का विवरण मांगा था। यह प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता के पास सरकारी कार्यालयों के रिकॉर्ड तक पहुंच है और सरकारी अधिकारियों के साथ भी उसकी अच्छी निकटता है। हालांकि, तलाशी के दौरान, वर्तमान याचिकाकर्ता के आवासीय परिसर से 28,50,000/- रुपये की नकदी जब्त की गई।
42. इस प्रकार, संक्षेप में, पूरक अभियोजन शिकायत से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अवैध खनन में सीधे तौर पर शामिल था। मूल रूप से ब्लॉक पटना में कुल 13.13 एकड़ क्षेत्र के लिए दिए गए खनन पट्टे में इसकी सीमा पार पाई गई। उन्होंने जानबूझकर पंकज मिश्रा को 29.10.2021 से 19.05.2022 की अवधि के दौरान अपने एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50200062737102 में

- पत्थर के चिप्स के कथित व्यापार को पेश करके अपराध के आगम के 4.87 करोड़ रुपये को वैध बनाने में सहायता की है।
43. इस प्रकार, उपरोक्त आरोप और चर्चा से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि कथित अपराध में वर्तमान याचिकाकर्ता की संलिप्तता को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
44. अब याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर आते हैं, जिसमें उन्होंने यह आधार लिया है कि याचिकाकर्ता इस अपराध में आरोपी नहीं है, इसलिए उसे मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन विद्वान अधिवक्ता का तर्क गलत प्रतीत होता है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध अनुसूचित अपराध से स्वतंत्र है, खासकर अपराध के आगम से संबंधित मामलों में। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि पांच बैंक खातों में 2,70,64,300/- रुपये जमा किए गए हैं। यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि अवैध रूप से खनन किए गए स्टोन चिप्स/एग्रीगेट्स का अधिकतम लेन-देन नकद में किया जाता है क्योंकि वे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना गुप्त तरीके से किए जाते हैं।
45. इस मोड़ पर धारा 3 अंतर्गत पीएमएल अधिनियम, 2002 के मूल पर चर्चा करना उद्देश्यपूर्ण होगा। अधिनियम 2002 की धारा 3, तीन चीजों को संबोधित करती है (i) व्यक्ति; (ii) प्रक्रिया या गतिविधि; और (iii) उत्पाद। जहां तक धारा 3 द्वारा कवर किए गए व्यक्तियों का संबंध है, वे हैं, (i) वे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने का प्रयास करते हैं; या (ii) वे जो जानबूझकर सहायता करते हैं; या (iii) वे जो जानबूझकर एक पक्ष हैं; या (iv) वे जो वास्तव में शामिल हैं। जहां तक प्रक्रिया का संबंध है, धारा छह अलग-अलग गतिविधियों की पहचान करती है, अर्थात् (i) छिपाना; (ii) कब्जा; (iii) अधिग्रहण; (iv) उपयोग; (v) प्रक्षेपण; या (vi) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना, जिनमें से कोई भी एक अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है।
46. यह तर्क कि महज अपराध के आगम का सृजन धन शोधन के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वास्तव में हास्यास्पद है। यह स्पष्ट है कि धारा 3 के अनुसार इसमें छह प्रक्रियाएँ या गतिविधियाँ पहचानी गई हैं। वे हैं, (i) छिपाना; (ii) कब्जा; (iii) अधिग्रहण; (iv) उपयोग; (v) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना; और (vi) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना। भले ही कोई व्यक्ति अपराध के आगम के रूप में उत्पन्न धन को न रखे लेकिन उसका “उपयोग” करे, वह धन-शोधन के अपराध का दोषी होगा, क्योंकि “उपयोग” धारा 3 में उल्लिखित छह गतिविधियों में से एक है। वर्तमान मामले में अवैध खनन गतिविधियों से प्राप्त आय को विभिन्न तरीकों से लॉन्ड्रिंग किया जाता है, जिनमें से एक उनके बैंक खातों में वृद्धिशील नकद जमा करना शामिल है

47. धारा 3 की मौलिक्यूलर संरचना को बनाने वाले इन आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पिछले पैराग्राफ में चर्चा किए गए तत्काल मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह मानता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में कोई सार नहीं है।
48. इसके अलावा, जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक सबूत का बोझ याचिकाकर्ता पर है, यही बात विभिन्न न्यायिक घोषणाओं में देखी गई है और **विजय मदनलाल चौधरी (2022) एससीसी ऑनलाइन 929** में बरकरार रखी गई है। **रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2018) 11 एससीसी 46** में, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पीएमएलए की धारा 24 के प्रावधान यह प्रदान करते हैं कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक प्राधिकरण या न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध के आगम मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है और यह साबित करने का भार कि अपराध के आगम शामिल नहीं है, अपीलकर्ता पर है।
49. जहां तक याचिकाकर्ता की ओर से लिए गए इस आधार का सवाल है कि कोई भी पूर्व निर्धारित अपराध नहीं किया गया है, विपक्षी पक्ष-ईडी की ओर से पेश की गई दलील पर विचार करते हुए यह न्यायालय मानता है कि एनजीटी द्वारा एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, इसे ईडी द्वारा जांच के दायरे में भी लाया गया है, जहां से अवैध खनन की मैटेरियल एकत्र की गई थी, इसलिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 411 और 414 के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये अपराध अनुसूचित अपराध के दायरे में आते हैं, इसलिए, उपरोक्त मैटेरियल =को इस हद तक ध्यान में रखते हुए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 411/414 के तहत अपराध पाया गया है, इस तरह, जो तर्क दिया गया है कि कोई अनुसूचित अपराध नहीं है, वह स्वीकार करने योग्य नहीं है।
50. इसके अलावा, धारा 3 अंतर्गत पीएमएलए में वर्णित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विस्तृत रूप से निपटाया गया है, जिसमें यह देखा गया है कि धारा 3 की पहुंच व्यापक है। परिभाषित अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध के आगम से निपटने में प्रत्येक प्रक्रिया और गतिविधि शामिल है, और यह मनी लॉन्ड्रिंग के कृत्य का गठन करने के लिए औपचारिक अर्थव्यवस्था में दागी संपत्ति के एकीकरण के अंतिम कार्य की घटना तक सीमित नहीं है। बेशक, अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी का मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का अधिकार तभी सक्रिय होता है जब अधिनियम की धारा 2(1)(यू) के अर्थ के भीतर अपराध के आगम मौजूद हो और इसके अलावा यह किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल हो। अघोषित आय के अस्तित्व के मामले में भी नहीं और इसकी मात्रा के बावजूद, धारा 2(1)(यू) के तहत “अपराध के आगम” की परिभाषा लागू नहीं होगी, जब तक कि संपत्ति किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित

आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त न हुई हो। संपत्ति को अधिनियम की धारा 2(1)(यू) के तहत “अपराध के आगम” की परिभाषा को पूरा करना होगा। जैसा कि देखा गया है, अनुसूचित अपराध से जुड़ी सभी या पूरी अपराध संपत्ति को अपराध के आगम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन धारा 2(1)(यू) के तहत “अपराध के आगम” की परिभाषा को पूरा करने वाली सभी संपत्तियां अनिवार्य रूप से अपराध की संपत्तियां होंगी।

51. किसी भी संपत्ति को अपराध के आगम के रूप में माना जाने के लिए, इसे किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि अपराध के आगम में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या प्राप्त की गई संपत्ति शामिल है, बल्कि ऐसी कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की जा सकती है। खंड (यू) यह भी स्पष्ट करता है कि ऐसी किसी भी संपत्ति का मूल्य भी अपराध के आगम होगी।
52. इसके अलावा कानून का यह स्थापित प्रस्ताव है कि यदि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित अपराध से जुड़ा नहीं है, जानबूझकर अपराध के आगम को छिपाने में सहायता करता है या जानबूझकर अपराध के आगम का उपयोग करने में सहायता करता है, तो उस मामले में उसे धारा 3 अंतर्गत पीएमएलए के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 अंतर्गत पीएमएलए के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, उसे अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में दिखाया गया हो।
53. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि एफआईआर दर्ज करने के बाद ईसीआईआर दर्ज करने में ईडी की ओर से 2 साल की देरी हुई, एक गलत तर्क है। यदि ईडी किसी पूर्वनिर्धारित अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद सूचना रिपोर्ट दर्ज करता है, तो ईडी पर जल्दबाजी में काम करने का आरोप लगाया जाएगा। यदि वे कहानी के एक विशेष चरण तक खुलने तक प्रतीक्षा करते हैं, तो ईडी पर देरी का दोषी होने का आरोप लगाया जाएगा। इसलिए, तथ्यों पर सभी तर्क और विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) में फैसले के कुछ हिस्सों से उत्पन्न सभी कानूनी तर्क, ईडी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से अस्थिर हैं।
54. जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, प्रतिवादी ईडी ने उक्त अधिनियम की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयानों और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर भारी भरोसा किया है, ताकि प्रथम दृष्टया धारा 3 के तहत धन शोधन के कथित अपराध में याचिकाकर्ता की संलिप्तता को दर्शाया जा सके।

55. रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2018) 11 एससीसी 46 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि अभियोजन पक्ष - ईडी द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान धारा 50 के मद्देनजर साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं। इस तरह के बयान मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में एक मजबूत मामला बना सकते हैं।
56. वर्तमान मामले में, धारा 50 के तहत दर्ज गवाहों के बयानों से जांच के दौरान यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष रूप से, जानबूझकर एक पक्षकार है और वास्तव में धन शोधन के अपराध से जुड़ी सभी गतिविधियों में शामिल है, अर्थात् उपयोग या अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, और बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना।
57. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, "धन शोधन के अपराध" का अर्थ है कि जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध के आगम से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है, जिसमें इसके छुपाने, कब्जे, अधिग्रहण या उपयोग और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या दावा करने शामिल है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा और अपराध के आगम से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध के आगम को छुपाने या कब्जे या अधिग्रहण या उपयोग या इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करने का आनंद ले रहा है।
58. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, न्यायिक घोषणा से यह स्पष्ट है कि किसी संपत्ति को अपराध के आगम के रूप में गठित करने के लिए, इसे किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि अपराध के आगम में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या प्राप्त की गई संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की जा सकती है। खंड (यू) यह भी स्पष्ट करता है कि ऐसी किसी भी संपत्ति का मूल्य भी अपराध के आगम होगी और तत्काल मामले में अभियोजन पक्ष की शिकायत के पैराग्राफ के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता न केवल शामिल है, बल्कि अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत के माध्यम से अपराध के आगम प्राप्त करने में उसकी भागीदारी प्रत्यक्ष है।
59. इसके अलावा यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 अंतर्गत पीएमएलए के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, उसे अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में दिखाया गया हो। इस संबंध में संदर्भ पवना डिब्बर बनाम प्रवर्तन



निदेशालय 2023 लाइव लॉ (एससी) 1021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से लिया जा सकता है।

60. पुनरावृत्ति की कीमत पर यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध अपराध के आगम से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि के संबंध में एक स्वतंत्र अपराध है जो किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित या उससे संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध उस तारीख पर निर्भर या जुड़ा नहीं है जिस दिन अनुसूचित अपराध या पूर्ववर्ती अपराध किया गया है। प्रासंगिक तिथि वह तिथि है जिस दिन व्यक्ति अपराध के आगम से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होता है। इस प्रकार, किसी भी आपराधिक गतिविधि जैसे कि अपराध के आगम को छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना, उपयोग करना, इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या ऐसा होने का दावा करना, अधिनियम की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध होगा। इस संबंध में तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से संदर्भ लिया जा सकता है।
61. इस प्रकार, ऊपर की गई चर्चा के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि यदि संपूर्ण ईसीआईआर को भी ध्यान में रखा जाए, तो भी ऐसा कोई अपराध नहीं माना जाएगा, जिससे धारा 3 अंतर्गत पीएमएल अधिनियम, 2002 और 4 के तत्व लागू हों, अभियोजन शिकायत में उल्लिखित आरोपों के आलोक में पूरी तरह से गलत है।
62. जहां तक याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दी गई दलील का संबंध है कि ईडी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध पहले ही एक अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर कर दी है और इस प्रकार, जांच पूरी हो चुकी है और इसलिए, याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
63. उक्त दलील के जवाब में, ईडी के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि मात्र जांच पूरी हो जाने से आरोपी/ याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा होने का अधिकार नहीं मिल जाता।
64. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क के संदर्भ में यहां यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान मामले में केवल आरोप-पत्र दाखिल करने से परिस्थितियों में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होता है।
65. इसके अलावा, कानून का यह स्थापित प्रस्ताव है कि आरोप-पत्र दाखिल करना ऐसी परिस्थिति नहीं है जो जमानत देने के लिए आरोपी के पक्ष में तराजू को झुकाती है और यह कहने की

- आवश्यकता नहीं है कि आरोप-पत्र दाखिल करना किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को कम नहीं करता है।
66. इस समय विरूपाक्षप्पा गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य, (2017) 5 एससीसी 406 के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना समीचीन होगा, जिसमें पैराग्राफ-12 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:
- "12. विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से, हम पाते हैं कि वे इस तथ्य से प्रभावित हुए हैं कि जब आरोप-पत्र दाखिल किया जाता है तो यह परिस्थितियों में बदलाव के बराबर होता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि आरोप-पत्र दाखिल करने से अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप किसी भी तरह से कम नहीं होते। इसके विपरीत, आरोप-पत्र दाखिल करने से यह स्थापित होता है कि उचित जांच के बाद जांच एजेंसी ने मैटेरियल मिलने पर, आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध विचारण के लिए आरोप-पत्र पेश किया है।"*
67. इस प्रकार, स्थापित कानूनी प्रस्ताव पर गौर करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है।
68. अब इस समय उपर्युक्त चर्चा के आलोक में यह न्यायालय पीएमएल अधिनियम 2002 की धारा 45 के दायरे पर फिर से विचार करना उचित समझता है। जैसा कि पिछले पैराग्राफ में चर्चा की गई है कि धारा 45 पीएमएल अधिनियम, 2002 में दोहरा परीक्षण प्रदान किया गया है। पहला 'विश्वास करने का कारण' इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से होना चाहिए कि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और दूसरी शर्त यह है कि अभियुक्त द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
69. अधिनियम, 2002 की धारा 45 की उप-धारा (1) (ii) में यह प्रावधान है कि यदि लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, तो अदालत को यह विश्वास हो जाता है कि यह मानने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है, जिसका अर्थ है कि संबंधित अदालत को इस पैरामीटर का पालन करना होगा कि यह विश्वास करने के लिए संतुष्टि होना आवश्यक है कि ऐसा आरोपी व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।
70. धारा 45(2) में जमानत देने के लिए सीमा पर विचार करने का प्रावधान है जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत सीमा के अतिरिक्त है, अर्थात्, सीमा जिसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा

438 या 439 के तहत इस न्यायालय को दिए गए क्षेत्राधिकार के तहत लाभ प्रदान करते समय विचार किया जाना है।

71. इस प्रकार, पीएमएल अधिनियम की धारा 19(1), 45(1) और 45(2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में नियमित जमानत का लाभ प्रदान करते समय, अधिनियम, 2002 की धारा 45(1) के तहत प्रदान की गई ट्विन कंडीशंस के अलावा, इसमें प्रदान की गई शर्तों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।
72. जांच के दौरान सामने आए आरोपों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता की ओर से जो तर्क दिया गया है कि आय को अपराध के आगम नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों से पता चलता है, आरोपी व्यक्ति द्वारा प्राप्त धन को याचिकाकर्ता द्वारा आरोपी व्यक्तियों के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।
73. धारा 45 अंतर्गत पीएमएलए जमानत नियम है और जेल अपवाद है के सिद्धांत को उलट देती है। पीएमएलए व्यवस्था के तहत जेल नियम है और जमानत अपवाद है। जमानत देने के लिए न्यायालय की शक्ति धारा 45(1) (i) और (ii) पीएमएलए के तहत निर्धारित ट्विन कंडीशंस की संतुष्टि पर भी निर्भर करती है। यह अभ्यास करते समय, न्यायालय को जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों के आधार पर प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। धारा 45 अंतर्गत पीएमएलए में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "विश्वास करने के लिए उचित आधार" है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय को जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से यह पता लगाना होगा कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। हाल ही में, तरुण कुमार बनाम सहायक प्रवर्तन निदेशालय, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1486 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना है:

*“जैसा कि अब तक तय हो चुका है, धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं। उनका अनुपालन किया जाना चाहिए। न्यायालय को यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमत वैधानिक अनुमान के अनुसार, न्यायालय या प्राधिकरण यह मानने का हकदार है कि जब तक विपरीत साबित न हो जाए, अधिनियम के तहत अपराध के आगम से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में, अपराध की ऐसी आय धन शोधन में शामिल है। धारा 45 अंतर्गत पीएमएलए में*

उल्लिखित ऐसी शर्तों का अनुपालन धारा 439 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा, क्योंकि पीएमएल अधिनियम को धारा 71 अंतर्गत पीएमएलए के तहत वर्तमान में लागू अन्य कानून पर दिए गए अधिभावी प्रभाव को देखते हुए।”

74. इसके अलावा, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि धारा 50 अंतर्गत पीएमएलए के तहत परिकल्पित प्रक्रिया अपराध के आगम के विरुद्ध जांच की प्रकृति की है और यह एक जांच नहीं है और जो अधिकारी बयान दर्ज कर रहे हैं वे पुलिस अधिकारी नहीं हैं और इसलिए, इन बयानों पर न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में भरोसा किया जा सकता है। पीएमएलए के तहत समन कार्यवाही और बयानों की रिकॉर्डिंग को धारा 50 अंतर्गत पीएमएलए (4) के तहत न्यायिक कार्यवाही का दर्जा दिया गया है। जब धारा 50 अंतर्गत पीएमएलए का दायरा ऐसा है, तो दर्ज किए गए बयान और शिकायत में जिन पर भरोसा किया गया है, उन्हें याचिकाकर्ता को फंसाने वाली एक महत्वपूर्ण मैटेरियल माना जाना चाहिए। जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों को अभियोजन पक्ष की शिकायत में निपटाया गया है और कई बयानों में याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से फंसाया गया है। इसलिए, दर्ज किए गए बयान और जिन पर भरोसा किया गया है, वे भी एक मजबूत मैटेरियल हैं जो याचिकाकर्ता के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को प्रथम दृष्टया स्थापित करती हैं।

75. यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *पी. चिदंबरम बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2020 रिपोर्ट 13 एससीसी 337* के मामले में आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों से निपटने के दौरान आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत ट्रिपल टेस्ट का प्रावधान किया है। इस निर्णय में जिन सिद्धांतों का सारांश दिया गया है, वे नीचे दिए गए हैं:

“21. जमानत देने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए: (i) आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता और अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई मैटेरियल की प्रकृति; (ii) गवाहों के साथ छेड़छाड़ या शिकायतकर्ता या गवाहों को धमकी की आशंका की उचित आशंका; (iii) मुकदमे के समय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना या उसके फरार होने की संभावना; (iv) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार और स्थिति और अभियुक्त के लिए विशिष्ट परिस्थितियाँ; (v) जनता या राज्य का व्यापक हित और इसी तरह के अन्य विचार।”

76. उपरोक्त चर्चा के तथ्यात्मक पहलू तथा कानूनी स्थिति के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस न्यायालय के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि याचिकाकर्ता अपराध के आगम कहे जाने वाले धन के प्रबंधन में शामिल नहीं है।
77. इस न्यायालय ने नियमित जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय इस बात को ध्यान में रखा है कि यद्यपि न्यायालय विद्वान न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर अपील में नहीं बैठा है क्योंकि यह न्यायालय धारा 439 आपराधिक प्रक्रिया संहिता की शक्ति का प्रयोग कर रहा है, लेकिन केवल उस दृष्टिकोण पर विचार करने के उद्देश्य से जो जमानत के लिए प्रार्थना को खारिज करते समय विद्वान न्यायालय द्वारा लिया गया था, यह न्यायालय भी जांच के दौरान सामने आई मैटेरियल के आधार पर उक्त दृष्टिकोण से सहमत है, जैसा कि ऊपर संदर्भित है।

### समानता के मुद्दे पर

78. अब याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए समानता के आधार पर आते हैं, कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि समानता का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए यदि तथ्य का मामला बिल्कुल समान है, तो आदेश पारित करने के मामले में केवल समानता का सिद्धांत पारित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि तथ्यों के बीच अंतर है, तो समानता का सिद्धांत लागू नहीं किया जाना चाहिए।
79. कानून का यह भी स्पष्ट अर्थ है कि न्यायालय अपनी शक्तियों का मनमाने तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता है और उसे जमानत देने से पहले परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करना होगा और केवल यह कह देना कि किसी अन्य आरोपी को जमानत दे दी गई है, यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि समानता के आधार पर जमानत देने का मामला स्थापित हुआ है या नहीं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना, (2021) 6 एससीसी 230** में दिए गए निर्णय से संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें यह निम्नानुसार माना गया है:

*"25. हम यह मानने के लिए विवश हैं कि जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून के तहत उचित नहीं हैं। वे कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता तथा दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता से अनभिज्ञ हैं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 16 एससीसी 508 :] में, इस न्यायालय ने माना है कि समानता के सिद्धांत को लागू करते समय, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का मनमाने तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता है और उसे जमानत देने से पहले*

परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करना होगा। इस न्यायालय ने कहा: (एससीसी पृष्ठ 515, पैरा 17)

“17. इस मामले पर आते हुए, यह पाया गया कि जब यह स्टैंड लिया गया कि दूसरा प्रतिवादी हिस्ट्रीशीटर है, तो उच्च न्यायालय के लिए हर पहलू की जांच करना और मनमाने ढंग से यह दर्ज नहीं करना जरूरी था कि दूसरा प्रतिवादी समानता के आधार पर जमानत पाने का हकदार है। यह पूरी तरह से निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि यह समानता का मामला नहीं था और इसलिए, आरोपित आदेश [मिट्ठन यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन ऑल 16031] स्पष्ट रूप से विवेक के गैर-उपयोग को उजागर करता है। इसके अलावा, तथ्य के तौर पर यह रिकॉर्ड में लाया गया है कि दूसरे प्रतिवादी को कई अन्य जघन्य अपराधों के संबंध में आरोप-पत्र दिया गया है। उच्च न्यायालय इस पर ध्यान देने में विफल रहा है। इसलिए, आदेश को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना होगा, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा इसकी स्वीकृति न्याय का उपहास करने के समान होगी, और तदनुसार हम इसे अलग रखते हैं।

26. मामले का एक और पहलू जिस पर जोर देने की जरूरत है, वह है जिस तरह से उच्च न्यायालय ने समानता के सिद्धांत को लागू किया है। अपने दो आदेशों द्वारा, दोनों दिनांक 21-12-2020 [प्रवीणभाई हीराभाई कोली बनाम गुजरात राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2986], [खेताभाई परबतभाई मकवाना बनाम गुजरात राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2988], उच्च न्यायालय ने प्रवीण कोली (ए-10) और खेता परबत कोली (ए-15) को जमानत दे दी। सिद्धराजसिंह भगुभा वाघेला (ए-13) के साथ समानता की मांग की गई थी, जिसे 22-10-2020 को जमानत दी गई थी [सिद्धराजसिंह भगुभा वाघेला बनाम गुजरात राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2985] इस आधार पर (जैसा कि उच्च न्यायालय ने दर्ज किया) कि उसे "लाठी से लैस होने की समान भूमिका सौंपी गई थी"। फिर से, वनराज कोली (ए 16) को इस आधार पर जमानत दी गई कि वह लकड़ी की छड़ी से लैस था और इस आधार पर कि प्रवीण (ए-10), खेता (ए-15) और सिद्धराजसिंह (ए-13) जो लाठी से लैस थे, उन्हें जमानत दी गई थी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से समानता के केंद्रीय पहलू को गलत समझा है। जमानत देते समय समानता को अभियुक्त की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल यह देखना कि जमानत पाने वाला दूसरा आरोपी भी इसी तरह के हथियार से लैस था, यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि समानता के आधार पर जमानत देने का मामला स्थापित हुआ है या नहीं। समानता के पहलू को तय करने में, आरोपी से जुड़ी भूमिका, घटना के संबंध में उनकी स्थिति और पीड़ितों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय ने ऊपर बताए गए सरल मूल्यांकन पर समानता के आधार पर आगे बढ़ा है, जो फिर से कानून के तहत मान्य नहीं हो सकता है।”

80. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय (सुप्रा) मामले में पैरा-18 में यह माना है कि समता कानून नहीं है और समता के सिद्धांत को लागू करते समय न्यायालय को उस अभियुक्त की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है जिसका आवेदन विचाराधीन है।
81. उक्त निर्णय के पैराग्राफ 19 में आगे कहा गया है कि जमानत के मामले में समानता का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि कोई नकारात्मक समानता नहीं हो सकती है, जिसका अर्थ है कि यदि किसी सह-अभियुक्त व्यक्ति को तथ्यात्मक पहलू पर विचार किए बिना या उचित न होने के आधार पर जमानत दी गई है, तो केवल इसलिए कि सह-अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है, वह अनुच्छेद 14 के सकारात्मक समानता और नकारात्मक समानता की परिकल्पना के आधार पर समानता के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करेगा। आसान संदर्भ के लिए, उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ-19, इस प्रकार है:
- “19. यह स्वयंसिद्ध है कि समानता का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष सकारात्मक समानता की गारंटी पर आधारित है। हालाँकि, यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता या अनियमितता की गई है, या न्यायिक मंच द्वारा कोई गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या बढ़ाने या इसी तरह का गलत आदेश पारित करने के लिए उच्चतर या उच्चतर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या अनियमितता को कायम रखना नहीं है। यदि किसी प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या लोगों के समूह को कानूनी आधार या औचित्य के बिना कोई लाभ या फायदा दिया गया है, तो अन्य व्यक्ति ऐसे गलत निर्णय के आधार पर लाभ का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं।”*
82. अब यह न्यायालय उपरोक्त स्थापित कानूनी अनुपात की पृष्ठभूमि में समता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए तात्कालिक तथ्यों पर विचार कर रहा है और कानून की उपरोक्त स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में कृष्ण कुमार साहा के मामले में अलग-अलग तथ्यों का उल्लेख करना उचित समझता है। इसके अलावा यह न्यायालय पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर भी विचार करना उचित समझता है, जिनकी जमानत की प्रार्थना न्यायालय ने खारिज कर दी थी, ताकि समता के मुद्दे पर तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।

83. इस न्यायालय को कृष्ण कुमार साहा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसका उल्लेख अभियोजन पक्ष की शिकायत में किया गया है, जिसे निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:

#### कृष्ण कुमार साहा

आरोपी नंबर 5 अर्थात् कृष्ण कुमार साहा जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है और साहेबगंज के मौजा चापंडे के प्लॉट नंबर 56, 59पी, 60पी, 211पी, 212पी, 225पी, 203पी और 210 में अवैध खनन में शामिल है। जांच से पता चला कि उपरोक्त खनन किए गए 100 दृश्य क्षेत्र से कुल उत्खनन मात्रा लगभग 4,11,64,200 सीएफटी थी। 40% के अधिकतम ओवरबंडन मलबे को भी ध्यान में रखते हुए, शुद्ध पत्थर उत्खनन लगभग 2,46,98,520 सीएफटी है। इसके अलावा, आरोपी कृष्ण कुमार साहा ने अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में 2,17,00,000 रुपये की अपराध आय अर्जित की है, जिसमें से उसने 2,07,00,000/- रुपये अपने बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए हैं। इसके अलावा, आरोपी कृष्ण कुमार साहा के पास अपराध से प्राप्त 17,58,18,751/- रुपये की आय है, जिसे बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में छुपाने के कारण बेदाग माना जा रहा है। इसके अलावा, कृष्ण कुमार साहा ने आरोपी पंकज मिश्रा को मौद्रिक लाभ प्रदान करके भी सहायता की है।

इसलिए, आरोपी नंबर 5 यानी कृष्ण कुमार साहा सीधे पत्थर खनन की अवैध गतिविधियों में लिस थे और जानबूझकर पंकज मिश्रा को मौद्रिक लाभ प्रदान करके उनकी सहायता की। इसके अलावा, आरोपी कृष्ण कुमार साहा वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी सभी गतिविधियों में शामिल थे, जिसमें अपराध के आगम को अलग-अलग बैंक खातों में जमा करके दागी संपत्ति को छुपाना, प्राप्त करना, उपयोग करना, प्रोजेक्ट करना और बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना शामिल था।

इसलिए, अभियुक्त कृष्ण कुमार साहा ने धारा 3 पीएमएलए, 2002 के तहत अपराध किया है और इस प्रकार, उसके विरुद्ध धारा 4 पीएमएलए, 2002 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

84. इस प्रकार, कृष्ण कुमार साहा के विरुद्ध मुख्य आरोप पत्थर खनन की अवैध गतिविधियों में शामिल होने और जानबूझकर पंकज मिश्रा को आर्थिक लाभ प्रदान करने में सहायता करने का है और इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने याचिकाकर्ता की बीमारी को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत पर रिहा कर दिया है।
85. लेकिन वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप पूरी तरह से अलग है और अभियोजन पक्ष की शिकायत के अनुसार यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिकाकर्ता यानी भगवान भगत ने पंकज मिश्रा



- को अवैध पत्थर खनन गतिविधियों और उसके बाद उससे जुड़ी अवैध गतिविधियों में जानबूझकर मदद की है, जिसमें उनके बैंक खातों का दिन-प्रतिदिन प्रबंधन, अवैध रूप से खनन की गई पत्थर मैटेरियल की आपूर्ति और उनके संरक्षण में अवैध गतिविधियों को अंजाम देना शामिल है। इसके अलावा, नकद में वहन किए जाने वाले दिन-प्रतिदिन के खर्चों में कटौती करने के बाद, याचिकाकर्ता के पास 2,70,64,300/- रुपये की अपराध के आगम थी, जिसे उसके पांच बैंक खातों में जमा किया गया है। उसने जानबूझकर पंकज मिश्रा को 29.10.2021 से 18.05.2022 की अवधि के दौरान अपने एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50200062737102 में 4.87 करोड़ रुपये की अपराध के आगम को सफेद करने में मदद की है।
86. इसलिए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का मामला आरोप के अनुसार उक्त कृष्ण कुमार साहा से अलग है और यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आरोपी पंकज मिश्रा, जिसके साथ वर्तमान याचिकाकर्ता की निकटता का आरोप लगाया गया है, की जमानत पहले ही इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा बीए संख्या 10861/2023 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 द्वारा खारिज कर दी गई है।
87. यह न्यायालय, याचिकाकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों की व्यक्तिगत संलिप्तता पर विचार-विमर्श करने के बाद, इस विचार पर है कि याचिकाकर्ता पंकज मिश्रा के मामलों से निकटता से जुड़ा हुआ पाया गया है, क्योंकि वर्तमान याचिकाकर्ता का फोन नंबर पंकज मिश्रा के नाम से खुले खाते में पाया गया है और पैसा भी जमा किया गया है।
88. समानता के सिद्धांत को लागू करते हुए, यह न्यायालय, तरुण कुमार (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार इस पर विचार करता है कि समानता का लाभ तभी दिया जाना चाहिए जब याचिकाकर्ता के तथ्य/संलिप्तता उन व्यक्तियों के समान हों जिनके साथ समानता का दावा किया जा रहा है।
89. यह न्यायालय, याचिकाकर्ता तथा अन्य सह-आरोपियों की संलिप्तता की चर्चा के आधार पर, इस विचार पर है कि याचिकाकर्ता का मामला कृष्ण कुमार साहा के मामले से बिल्कुल अलग है, क्योंकि याचिकाकर्ता की संलिप्तता पंकज मिश्रा का करीबी सहयोगी होने की है।
90. अन्यथा भी, तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, (सुप्रा) के मामले में दिए गए फैसले का सहारा लेते हुए यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि जमानत का लाभ किसी न्यायालय द्वारा दिया गया है जो जांच के दौरान एकत्र की गई मैटेरियल के विपरीत प्रतीत होता है तो इस सिद्धांत को लागू करते हुए कि अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, इसलिए, यह न्यायालय, कृष्ण कुमार साहा के विरुद्ध आरोप पर विचार करते हुए इस दृष्टिकोण पर है कि क्या यह एक उपयुक्त मामला नहीं है, केवल इसलिए कि कृष्ण कुमार

साहा को जमानत दी गई है, याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत से भी रिहा किया जा सकता है, इस तरह, उक्त लाभ स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

91. इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक आर्थिक अपराध है और आर्थिक अपराध गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण के साथ विचार करने की आवश्यकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई रिपोर्टेड* (2013) 7 एससीसी 439 के मामले में कहा है, तत्पर संदर्भ के लिए, उपरोक्त निर्णयों के प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार उद्धृत किए जा रहे हैं:

"34. आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी में आते हैं और जमानत के मामले में इनके लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। गहरी साजिश वाले और सार्वजनिक धन की भारी हानि वाले आर्थिक अपराधों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें गंभीर अपराध माना जाना चाहिए, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और इस तरह देश की वित्तीय सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।"

इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *निमगड्डा प्रसाद बनाम सीबीआई* (2013) 7 एससीसी 466 के मामले में पैराग्राफ 23 से 25 में उसी दृष्टिकोण को दोहराया है जो इस प्रकार है:

"23. दुर्भाग्य से, पिछले कुछ वर्षों में देश में सफेदपोश अपराधों में खतरनाक वृद्धि देखी गई है, जिसने देश के आर्थिक ढांचे के ताने-बाने को प्रभावित किया है। निस्संदेह, आर्थिक अपराधों का पूरे देश के विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। गुजरात राज्य बनाम मोहनलाल जीतमलजी पोरवाल [(1987) 2 एससीसी 364: 1987 एससीसी (सीआरआइ) 364] में, इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के अनुरोध पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नांकित टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 371, पैरा 5)

"5. ... अगर राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले आर्थिक अपराधियों को सजा नहीं मिलती है तो पूरा समुदाय दुखी है। भावनाओं के आवेश में आकर हत्या की जा सकती है। एक आर्थिक अपराध शांत गणना और जानबूझकर व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है, भले ही समुदाय के लिए इसका क्या परिणाम हो। समुदाय के हितों की अनदेखी केवल इस कीमत पर ही प्रकट हो सकती है कि समुदाय का भरोसा और भरोसा खत्म हो जाए कि यह प्रणाली निष्पक्ष तरीके से न्याय करेगी और उन वर्गों की आलोचना से डरेगी नहीं

जो सफेदपोश अपराधों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हित को होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना उदार नजर से देखते हैं।”

24. जमानत देते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि के लिए दंड की गंभीरता, अभियुक्त का चरित्र, अभियुक्त के लिए विशिष्ट परिस्थितियाँ, मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की उचित आशंका, जनता/राज्य के व्यापक हित और इसी तरह के अन्य विचार ध्यान में रखने होते हैं। यह भी ध्यान में रखना होगा कि जमानत देने के उद्देश्य से विधानमंडल ने “साक्ष्य” के बजाय “विश्वास करने के लिए उचित आधार” शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ है कि जमानत देने से निपटने वाली अदालत केवल इस बारे में खुद को संतुष्ट कर सकती है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई वास्तविक मामला है या नहीं और अभियोजन पक्ष आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम होगा या नहीं। इस स्तर पर, उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने वाले साक्ष्य होने की उम्मीद नहीं की जाती है।

25. आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी में आते हैं और जमानत के मामले में इनके लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। गहरी साजिशों वाले और सार्वजनिक धन की भारी हानि वाले आर्थिक अपराध को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसे एक गंभीर अपराध के रूप में माना जाना चाहिए, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और इस तरह देश की वित्तीय सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

92. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि गंभीर आर्थिक अपराधों में जमानत देने के मुद्दे पर निर्णय लेते समय इस न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इसके अलावा, जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 42 में यह प्रस्तुत किया गया है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि याचिकाकर्ता साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पहले से ही एक गवाह श्री बिजय हंसदा आरोपी व्यक्तियों के प्रभाव के कारण अपने बयान से पलट गया है।
93. याचिकाकर्ता के विरुद्ध उपलब्ध उपरोक्त मैटेरियल के मद्देनजर, यह न्यायालय इस मत पर है कि अपराध की ऐसी गंभीर प्रकृति में, जो मैटेरियल के आधार पर उपलब्ध है, जमानत देने के सिद्धांत को लागू करते हुए, जिसमें प्रथम दृष्टया मामला होने के सिद्धांत का पालन किया जाना है, आरोप की प्रकृति गंभीर है और इस तरह, यह जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं है।
94. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि अपीलकर्ता इस न्यायालय को यह संतुष्ट करने में बुरी तरह विफल रहा है कि यह मानने के लिए

उचित आधार हैं कि वह कथित अपराधों का दोषी नहीं है। इसके विपरीत, प्रतिवादी-ईडी द्वारा यह दिखाने के लिए पर्याप्त मैटेरियल एकत्र की गई है कि वह कथित अपराधों का प्रथम दृष्टया दोषी है।

95. उपर्युक्त कारणों से, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है, चूंकि याचिकाकर्ता जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक विशेष मामला बनाने में विफल रहा है और जमानत के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्यों और मापदंडों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय जमानत देने के लिए अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई असाधारण आधार नहीं पाता है।
96. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां जमानत के लिए प्रार्थना स्वीकार की जानी चाहिए, इसलिए तत्काल आवेदन खारिज किया जाता है।
97. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में व्यक्त विचार प्रथम दृष्टया केवल जमानत के मामले पर विचार करने के लिए हैं।

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे.)

सौरभ/-

एएफआर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।